Sometime back when I had moved the Constitution Amendment Bill, afterwards the 24th Constitution Amendment Bill was introduced by Government. At the time, I had referred to this issue and raised the point whether when an identical Bill was already introduced by me, a similar Bill could be brought here. I think an identical situation is there now.

MR. DEPUTY-SPEAKER: When the Bill is pending before the House. It is only when another identical Bill is pending at that time. Anyway, for the time being —(*Interruption*).— Order please. I would like to be very clear, and I would like the Minister concerned to come forward. That is why I say it can be introduced at this stage. (*Interruption*) Order please. Now, the question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Mines Act, 1952.."

The motion was adopted.

SHRI S. C. SAMANTA: I introduce the Bill.

COIR INDUSTRY (AMENDMENT) BILL*

(*Amendment of sections* 10, 20 *etc.*)

SHRI S. C. SAMANTA (Tamluk): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Coir Industry Act, 1953.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Coir Industry Act, 1953."

The motion was adopted.

SHRI S. C. SAMANTA: I introduce the Bill.

DELHI RENT CONTROL* (AMENDMENT) BILL*

(*Amendment of section* 2)

श्री शशि भूषण (दक्षिण दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दिल्ली भाटक नियंत्रण अधिनियम, 1958 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Delhi Rent Control Act, 1958."

The motion was adopted.

श्री शशि भूषण : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

15.13 hrs.

PREVENTION OF COW SLAUGHTER BILL

by Shri Bharat Singh Chowhan—contd.

MR. DEPUTY-SPEAKER: We take up further consideration of the following motion moved by Mr. B. S. Chowhan on the 1st September, 1972:—

> "That the Bill to prevent cow slaughter in India, be taken into consideration."

Two hours were allotted. 1 hour 20 minutes were taken. 40 minutes is the balance. Shri Ram Gopal Reddy was on his legs.

SHRI M. RAM GOPAL REDDY (NIZAMABAD) *rose*—

---

*Published in Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 2, dated 17.11.72.

श्री झारखंडे राय (घोसी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। व्यवस्था का प्रश्न यह है कि यह विधेयक देखने में तो मामूली मालूम होता है लेकिन इसका नतीजा खतरनाक मालूम होता है इसलिए मैं आपकी व्यवस्था इसमें चाहता हूं। आपको स्मरण होगा कि इस विधेयक पर मैं बोला था।

MR. DEPUTY-SPEAKER: What are you speaking on?

श्री झारखंडे राय : आप पहले सुन लीजिये। इस विधेयक पर मैं इसके खिलाफ बोला था और उसके फलस्वरूप मुझे जान से मारने का धमकी का पत्र मिला है।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Just one minute. Firstly, if you have spoken already, you cannot speak a second time.

SHRI DINEN BHATTACHARYYA (Serampore): It is a serious matter. The hon. Member says that his life is in danger.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I am concerned with the procedure. He raised a point of order. Although I am prepared to listen to the point of order.... (*Interruption*)

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur): Sir, he belongs to our party. It is an important matter. I belong to his particular group. Kindly hear me for a minute.

MR. DEPUTY-SPEAKER: It is important, I agree; but I am concerned with the procedure of the House. At the moment we are discussing a particular Bill.

SHRI S. M. BANERJEE: Kindly hear me for a minute.

MR. DEPUTY-SPEAKER: First hear me. I will then call you. We are almost through it. If there is any point of order, I am prepared to listen to it, but any other thing which can be brought as an argument on the Bill should form part of the speech.

SHRI S. M. BANERJEE: Kindly hear me for a minute. My friend, Shri Jharkhande Rai, spoke on this Bill. He did not support the Bill but he opposed it, with the result that on the 6th October, 1972, he received a secret letter from

खूनी गौहत्या आंदोलन।

It says:

"झारखंडे,

लोक सभा में आदरणीय वी० एस० चौहान (जनसंघ) ने गोहत्या पर रोक लगाने के लिए जो विधेयक रखा था और उस पर जो तुम ने शब्द अपने गंदे मुंह से निकाले उनके लिए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम हिन्दू धर्म के सबसे बड़े दुश्मन हो। गौ माता का दूध पीकर तुम्हें शर्म नहीं आई तुम बहुत गंदे खून के बने हो।

मैं गौ माता की कसम खाता हूं "तुम्हारे सामने तुम्हारे सारे खानदान तथा प्यारे व्यक्तियों के शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर के गौ माता के चरणों तले डालूंगा तुम्हें वह यातना दूंगा जो आज तक किसी ने सुनी भी ना हो।" तुम्हें यह शब्द कितने मंहगे पड़ेंगे यह तुम सोच भी नहीं सकते हो। तुम किस दुनिया में रहते हो। हिन्दुस्तान में रहकर जो आदमी हिन्दू धर्म से वैर करेगा उसे वही सजा दी जायेगी जो तुम्हें मिलने वाली है।

अन्य साथियों के कहने पर तुम्हें चेतावनी (वार्निंग) दी जाती है कि अब तुम संघ्य लोक सभा में गौ हत्या पर रोक लगाने के लिए फौरन विधेयक रक्खो और यदि फौरन गौ हत्या बन्द हो गई तो तुम्हें माफ कर दिया जायेगा वर्ना पता है मैं उस देश का वासी हूं यहां के माननीय ऊधम सिंह ने जनरल 'ओ' डायर की हत्या उसके देश में की थी तुम तो हिन्दुस्तान में ही हो।

"अध्यक्ष खूनी गौ हत्या आन्दोलन"

MR. DEPUTY-SPEAKER: What do you want to do?

SHRI S. M. BANERJEE: This letter has in original, with the envelope, been sent to the Home Minister, Shri Mirdha. A copy has also been sent to the Speaker. If a Member who speaks here his views on a Bill is threatened like this, by a certain political party worker, I want that he should be given due protection. I shall send you this copy.... (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Order, please. Let it not become a debate. At the moment, I am concerned with the procedure. I agree that even writing a letter like that is a serious matter. You have said that it has been sent to the Home Ministry to examine and to give him protection. You have done all that. I am concerned with the procedure. You have said that this letter has not been signed; it was an anonymous letter. This House should treat it with the contempt that it deserves—a person who does not dare even to sign....

AN HON. MEMBER: His life is in danger.

MR. DEPUTY-SPEAKER: He has written to the Home Minister.

श्री झारखण्डे राय : इतना ही नहीं, पिछली 14 तारीख को टेलीफोन पर किसी आदमी ने या किसी गेंग ने फिर मुझे धमकी दी कि एक महीने के अन्दर अगर तुम यह कार्यवाही नहीं करोगे, विधेयक पेश करके पास नहीं करवाओगे तो तुम्हें जान से मार दिया जायेगा। 14 तारीख को पौने 12 बजे मुझे टेलीफोन किया गया।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Since the Member has mentioned this and it is on record, Government should take note of it.

SHRI S. M. BANERJEE: He has already given it to the Home Minister.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I am saying from here, on behalf of the House, that since this matter has been mentioned and the Member has legitimate fears of his life—threats are held out to him, they may be genuine, they may not be genuine—Government should take a note of it and see what should be done in the matter.

SHRI M. RAM GOPAL REDDY (Nizamabad): Mr. Deputy-Speaker, we are living in the age of science and technology; ours is the atomic age. There are some persons who want to take us back to the age of superstition; they want to take this country 4,000 years ago. Those persons want to gain some political advantage by creating the impression that they are the only protectors of the cows in this country.

SHRI JAGANNATHRAO JOSHI (Shajapur): Cow and calf, both.

SHRI M. RAM GOPAL REDDY: Yes. In this country, in 1935 we had a cattle population of 215 million. By 1962 it increased by 45 per cent.

[Shri M. Ram Gopal Reddy]

Now it has come down to 250 million. Now we cannot feed all the cattle, including the useless cattle. Nobody is killing good cattle. Only the useless cattle on the verge of death are being killed. Moreover, the kisan knows how many cows and bullocks he should keep and which are the useless cattle. Only the useless cattle are being sent to the slaughter house and a good balance is being maintained now. If the number of useless cattle also is allowed to increase, by the end of this century, the cattle will drive out the entire human population out of this country. In spite of various birth control methods, our population is increasing by 2.3 per cent every year and by the end of the century, it may cross the 1 billion mark. By that time, the land available for grazing will be only a quarter million acres. How are we going to feed the huge cattle population? This year there is drought. In Andhra, half the cattle are dead. If sufficient help is not given, the remaining half also will die. There is no drinking water. We cannot allow the cattle population to increase for the pleasure of some people. If threatening letters are written to a senior member of the House. It is shameful. It might not have been written by a leader, but in this country there are some people of that nature. As Pandit Nehru used to say, in this country, people of every century are living—1st, 2nd, 10th, 15th, 19th, and 20th century. Some people think that by bringing this Bill they can get some political advantage and they will win elections. They have already cut a sorry face. Had they not indulged in issues involving religious susceptibilities, they might have fared well. Unfortunately, they brought religion into politics and suffered. I come from a peasant family and my name is Gopal. I know how to look after a cow.

With these words, I oppose the Bill and request the mover to withdraw the Bill, so that he may not face the situation of his Bill being voted down.

डा० गोविन्द दास (जबलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का हृदय से समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । सचमुच यह आश्चर्य की बात है कि हमारे देश को स्वतंत्र हुए 25 वर्ष से अधिक हो गये, हम ने अपनी स्वतंत्रता की रजत जयन्ती भी मनाई लेकिन अब तक इस पुण्यभूमि पर गोवध हो रहा है । कहा जाता ह कि जो लोग हिन्दू हैं, जो लोग साम्प्रदायिकता से भरे हुए हैं वे ही गोवध बन्द करना चाहते हैं । मैं आप को बतलाना चाहता हूं कि स्वराज्य के पहले वर्तमान भारत के नेताओं ने इस सम्बन्ध में क्या कहा है । गांधी जी को साम्प्रदायिक नहीं कहा जा सकता, आज विनोबा जी भी इस के बारे में कह रहे हैं । उन को साम्प्रदायिक नहीं कहा जा सकता । यह प्रश्न साम्प्रदायिक प्रश्न नहीं है । यह प्रश्न इस देश की संस्कृति से, इस देश के आर्थिक विकास से सम्बन्ध रखता है ।

जहां तक संस्कृति का सवाल है यह एक ऐतिहासिक बात है कि सांस्कृतिक दृष्टि से इस देश में गोवध मुस्लिम काल में भी बन्द रहा है । मोगल काल का मैं स्मरण दिलाना चाहता हूं । अकबर से लेकर शाहजहां तक— अकबर, जहांगीर और शाहजहां इन तीनों— के काल में यहां पर गोवध बन्द रहा । कुछ लोगों की मान्यता है कि औरंगजेब के काल में भी गोवध बन्द था, पर इसमें कुछ मतभेद है । लेकिन जहां तक अकबर, जहांगीर और शाहजहां का सवाल है उनके राज्यकाल में गोवध कतई बन्द रहा है । हमारे नेताओं ने

इस बात को स्पष्ट कहा था कि स्वराज्य होते ही गोवध बन्द कर दिया जायेगा, लेकिन यह बड़े दुःख की बात है कि अब तक इस देश में गोवध हो रहा है ।

जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, वह गोवध बन्द करने की नीति स्वीकार कर चुकी है और उस को स्वीकार करने के बाद सरकार ने इस सारे विषय पर विचार करने के लिए एक कमेटी बनाई थी । यह आशा थी, और सरकार ने कहा भी था, कि उस समिति का प्रतिवेदन हम लोगों के सामने छः महीने में आ जायेगा । लेकिन पता नहीं कितने छः महीने बीत गये इस बात को । कोई न कोई अड़चन आकर खड़ी हो जाती है । अभी हम ने सुना कि उस कमेटी के अध्यक्ष श्री सरकार ने इस्तीफा दे दिया । मैं नहीं जानता कि यह बात क्यों हुई । अगर उन्होंने इस्तीफा दिया तो उस के कारणों को दूर करना चाहिये जिन को ले कर वह काम नहीं करना चाहते । लेकिन अगर वे काम नहीं करना चाहते तो जिस तरह से सरकार ने तीन सदस्यों को नियुक्त किया उसी समय उसे श्री सरकार के स्थान पर किसी दूसरे को अध्यक्ष बनाना चाहिये था । मगर उस की वजह से यह काम बन्द हो जाय तो यह किसी प्रकार ठीक नहीं होगा ।

गाय हमारे यहां पर आज से नहीं बहुत प्राचीन समय से अवध्य रही है । इस सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय का भी फैसला है । उस ने अपने फैसले में स्पष्ट कहा है कि गाय, बछड़े और बछड़ियां अवध्य हैं । उन्होंने बैलों के सम्बन्ध में अवश्य यह कहा है कि उन का वध किया जा सकता है । लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है उस को तो हम को कम से कम कार्यरूप में परिणत करना चाहिये । हम लोगों को तब तक सन्तोष नहीं होगा जब तक गोवंश का वध कतई तौर पर बन्द नहीं हो जाता । यदि सरकार अपनी ओर से इस को बन्द नहीं करती तो कम से कम सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार तो उस को काम करना ही चाहिये ।

पहले सरकार के सामने बहुमत का प्रश्न था । कुछ प्रदेशों में सरकार को बहुमत नहीं था, लेकिन आज वह स्थिति नहीं है । लोक सभा और राज्य सभा में सरकार का प्रचण्ड बहुमत है । करीब करीब सारे राज्यों में सरकार का बहुमत है, फिर यह बात क्यों नहीं हो रही है यह मेरी समझ में नहीं आती । मैं इस बात को हमेशा कहता रहा हूं कि इस सम्बन्ध में केन्द्रीय कानून बनना चाहिये । जब तक केन्द्रीय कानून नहीं बनेगा तब तक इस देश में सर्वत्र गोवध बन्द नहीं हो सकता । अगर इस के लिये संविधान का संशोधन भी करना पड़े तो उस को करना चाहिये । हम संविधान में कई संशोधन कर चुके । यदि इतने महत्वपूर्ण विषय पर हम संविधान का संशोधन न करें तो यह बड़े खेद की बात होगी ।

15.29 hrs.

[Shrimati Sheila Kaul *in the Chair*]

अगर सरकार इस सम्बन्ध में इस देश की जनता की राय जानना चाहती है तो मैं बतलाना चाहता हूं कि जिस समय यहां संविधान सभा चल रही थी, मैं भी उस का सदस्य था, मैंने कहा था कि हमारे संविधान में रिफरेंडम की भी व्यवस्था होनी चाहिये। वह तो नहीं हुआ लेकिन यदि सरकार इस सम्बन्ध में इस देश का जनमत जानना चाहती है तो जान सकती है । मैं कहना चाहता हूं कि हिन्दू मुसलमान सभी लोगों का बहुमत गोवध बन्द करने के पक्ष में है । कहा जाता है कि बेकार पशुओं का क्या होगा। मैं आप से इतना कहना चाहता हूं कि बेकार पशुओं की बात दूसरी है, लेकिन आप बम्बई के कसाई खाने में जाकर देख लें, बम्बई कलकत्ते के कसाई खाने में जा कर देख लें, वहां अच्छे से अच्छे गोवंश का किस प्रकार से संहार हो रहा है और किस प्रकार से गायें काटी जा रही हैं। जहां तक उपयोगी पशुओं का सम्बन्ध है, सर्वोच्च न्यायलय के फैसले के अनुसार तो काम होना चाहिये।

लोग कहते हैं कि मैंने हिन्दी को और गाय के प्रश्न को एक साथ कैसे लिया है। मैं समझता हूं कि हिन्दी का और गाय का आपस में जितना सम्बन्ध है, उतना शायद किसी दूसरी चीज का नहीं है । हिन्दी से हमारे मस्तिष्क का सम्बन्ध है जबकि गाय का हमारे शरीर से सम्बन्ध है । मस्तिष्क के बिना शरीर बेकाम है और शरीर के बिना मस्तिष्क बेकाम है । अब आप सोचिये कि गाय और हिन्दी का आपस में सम्बन्ध है या नहीं है । दोनों का आपस में जितना सम्बन्ध है उतना किसी दूसरी चीज का नहीं है ।

देश में पच्चीस वर्ष के बाद भी एक विदेशी भाषा चलती रहे, देश में पच्चीस वर्ष के बाद भी गोवध होता रहे इस से ज्यादा दुख और खेद की और कोई बात नहीं हो सकती। इसलिए चाहे यह विधेयक किसी भी सदस्य ने अथवा किसी भी दल ने रखा हो मैं हृदय से इसका समर्थन करता हूं और कांग्रेसी सदस्यों से मैं कहना चाहता हूं कि इसके सम्बन्ध में कोई व्हिप जारी नहीं हुआ है और वे मत देने के लिए स्वतंत्र हैं। इस वास्ते कृपा करके इस सम्बन्ध में जब मत विभाजन का प्रश्न आए तो वे इसके पक्ष में मत दें।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि इस देश की आत्मा को तब तक सन्तोष नहीं होगा जब तक गाय के खून की एक बूंद भी इस पुण्य भूमि पर गिरती रहेगी। इसलिए गोवध बन्द होना आर्थिक दृष्टि से और सांस्कृतिक दृष्टि से दोनों ही दृष्टियों से आवश्यक है । हम चाहते हैं कि अधिक अन्न पैदा हो। अवश्य अधिक अन्न पैदा होना चाहिये । लेकिन अधिक अन्न के उत्पादन के लिए भी गोबर के खाद की, बैलों की आवश्यकता है । शरीर को हृष्टपुष्ट बनाने के लिए दूध की आवश्यकता है । इसलिए सांस्कृतिक और आर्थिक दोनों दृष्टियों से गोवध देश में कतई बन्द होना चाहिये ।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का हृदय से समर्थन करता हूं।

*SHRI E. R. KRISHNAN (Salem): Madam Chairman, on the Prevention of Cow Slaughter Bill moved by Shri B. S. Chowhan, I would like to say a few words. I am sorry to say that I am not in a position to extend my support to this Bill. I would like to give a few concrete reasons for my opposition to this Bill.

Madam, you know that the population of our country is 55 crores. When we look at the fast growing rate of our population, I am afraid that within a few years the people may be forced to take to grass for their food. At that time, I would not like our cows to be the competitors for the grass. The Government of India advance the argument of fast growing population for the spiralling price rise. Though the production of essential commodities of life has gone up considerably, yet the paradoxical situation is that they are not available in adequate supply to the people of our country. For this also the fast rate in the growth of our population has been pointed out by our Government.

The rate in the growth of cattle is comparatively higher than that of human beings and the standing proof is the larger number of stray cattle roaming about in the streets of Delhi. In Tamil Nadu we have got Temple Cows which are left scot-free to graze in anybody's field. The stray cattle in the streets of Delhi can be compared to that. I have no doubt that for the large number of traffic accidents on the roads of Delhi the stray cattle counts very much. At least for this reason, I am not able to support this Bill.

According to the 1966 Census, the total value of cattle in our country was Rs. 17.61 crores. Now it might be about Rs. 25 crores. We have got 50 Intensive Cattle Development projects in the country. Each project takes care of 1,00,000 cows. During the IV Plan period 37 such Centres are to be started. In addition, we have 6 Cattle Breeding Stations. We have also 510 Key Village Blocks throughout the length and breadth of the country where the breeding of productive cattle is given the greatest attention. If we want that all these projects should succeed, then we should not give our support to this Bill which makes cow slaughter an offence.

In no country in the world, there is this kind of blind superstition of worshipping cows etc. In many western countries, the people have got this impression about Indians that they are worshippers of cow, snake, all sorts of animals, trees, plants, etc. They think that all the Indians are steeped in such meaningless superstitions. Whenever we go abroad, we are also confronted with these questions. If we are to pass this Bill, then we will be giving legal sanction to our superstition. We are now the laughing stock in other countries and after passing this Bill, I have no doubt that we will be mocked at by the rest of the world.

In this scientific age, when man has reached the moon and brought the samples of sand from the moon, we cannot afford to adopt this kind of legislative measure, which is clothing our superstition with legal authority. That is why I want to oppose this Bill. Our aim should be to protect the milch cows of good breed. If we accept this Bill we will be adding more misery to the already miserable lot of humanbeings.

With these words, I conclude my speech.

श्री शिव कुमार शास्त्री (अलीगढ़) : पच्चीस वर्ष के बाद भी गोरक्षा की समस्या इस देश में हल नहीं हो पाई है, यह हमारे लिए एक लज्जा की बात है ।

*The original speech was delivered in Tamil.

[शिव कुमार शास्त्री]

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सामने यह प्रश्न रहा है। उन्होंने इस प्रश्न को स्वतन्त्रता प्राप्ति से भी अधिक महत्व दिया था। उन्होंने एक बार कहा था कि यदि स्वाधीनता में विलम्ब होता है और गऊ की रक्षा उसके बदले में होती है तो मैं इसको सहन कर सकता हूं

एक माननीय सदस्य : कभी नहीं कहा।

श्री शिव कुमार शास्त्री : शतपथ ब्राह्मण ग्रन्थ में एक बहुत सुन्दर बात आती है। मैं संस्कृति और धर्म की बात बाद में कहूंगा क्योंकि इस सभा में इस प्रकार के अनेक व्यक्ति हैं जो धर्म से शत्रुता रखते हैं, जो संस्कृति को पसन्द नहीं करते हैं। इसलिये उस पर मैं बाद में आऊंगा। पहले मैं शतपथ ब्राह्मण ग्रन्थ की बात कहना चाहता हूं। गऊ प्रकृति की ओर से दी हुई चीज है और यह चश्मे से भी कई अर्थों में अच्छी है। चश्मे को एक जगह से उठा कर दूसरी जगह नहीं रखा जा सकता है। प्रकृति के चश्मे में एक जैसा पानी सदा नहीं रहता, वर्षा ऋतु और उस के बाद कुछ ज्यादा होता है उसके बाद कम हो जाता है, ग्रीष्म ऋतु में वह शुष्क हो जाता है। लेकिन इसमें कहा गया है कि गऊ इस प्रकार का चश्मा है जिसको एक देश से दूसरे देश में भी ले जाया जा सकता है और जिसकी उत्तरोत्तर वृद्धि हो कर प्राणिमात्र, मनुष्यमात्र का हित होता है। इतिहास की बात भी मैं आपको बताता हूं। कोलम्बस का उदाहरण दिया जा सकता है। जब वह दूसरी बार अमरीका गए तो चालीस गायें और दो सांड अपने साथ ले गए। इससे वहां का जो गोवंश था उसमें वृद्धि हुई और आपके और हमारे सामने लाखों और करोड़ों की संख्या में वहां गोधन बढ़ गया और उसने अपने दूध और मक्खन से वहां की जनता को तृप्त किया और उन्नत किया।

इसी तरह से यह कहा जाता है कि यह विज्ञान का युग है, प्रगति का युग है, इसमें गोवध की बात क्यों की जाती है। इस विज्ञान और प्रगति के युग में मनुष्य ने आंख से देखना, कान से सुनना, मुंह से खाना, नाक से सूंघना क्या छोड़ दिया है? अगर ऐसा नहीं हुआ है तो इस विज्ञान तथा प्रगति के युग में जो उपयोगी पशु है उसकी रक्षा करना और उससे काम लेना अप्रगतिवादी या अवैज्ञानिक कैसे कहलाएगा? लोग कह रहे हैं कि यह एक अप्रगतिवादी कदम होगा। मैं उनसे पूछता हूं कि क्या महात्मा गांधी प्रगतिवादी नहीं थे और वह क्या देश को उन्नत नहीं करना चाहते थे? उन्होंने क्यों इस प्रश्न को महत्वपूर्ण समझ कर हमारे सामने इसको रखा।

एक बात और कही जाती है। जो अनुपयोगी पशु हैं उनका क्या किया जाए। मैं कहना चाहता हूं कि गाय कभी अनुपयोगी होती ही नहीं है। जो विशेषज्ञ लोग हैं उन्होंने इस चीज को सिद्ध कर दिया है। अगर गाय दूध नहीं देती और फिर भी उसको चारा खिलाया जाता है तो उसके बदले में वह मूत्र के रूप में और गोबर के रूप में जो खाद देती है वह उससे अधिक महत्वपूर्ण और उपयोगी है। विशेष रूप से मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जब वह कहती है कि कृषि भूमि की सीमा बांधी जाए, दस एकड़ या आठ एकड़ से ज्यादा किसी के पास कृषि योग्य भूमि नहीं रहनी चाहिए तो वैसी स्थिति में क्या सरकार यह आवश्यक नहीं समझती है कि गाय की रक्षा की जाए और उन्नत प्रकार के गाय और बैल उत्पन्न किए जाएं? वे आपके ट्रैक्टर आठ एकड़ भूमि में क्या करेंगे,

कौन इनको रखेगा ? और कृषक के लिए आर्थिक दृष्टि से उस को रखना किस प्रकार व्यावहारिक होगा ? छोटी खेती के लिए तो अच्छे बैल ही उसके काम में आ सकते हैं और वही उसको सहरा दे सकते हैं ।

हमारे जैसे पिछड़े देश में ट्रैक्टर को रखना उपयोगी नहीं है । जिन्होंने ट्रैक्टर रखे हुए हैं, उनकी हालत को मैं जानता हूं । छोटे-मोटे शहर में पुर्जे नहीं मिलते हैं, मरम्मत करने वाले नहीं मिलते हैं । जब तक किसान उस के लिए इधर से उधर चक्कर काटता है और इन्तजाम करता है, तक तो वह पिछड़ जाता है ।

इसके साथ साथ कृषक को खाद का प्रबन्ध भी किसी दूसरी जगह से करना होता है । लेकिन गौ और बैल को रखने का महत्व यह है कि जो बैल उस के खेत में चलता है, वह साथ-साथ खाद भी देता है । अगर चलते हुए बैल पेशाब या गोबर करता है, तो वह किसान की जमीन में खाद देता है और उसको उर्वरा बनाता है । यही स्थिति गौ की भी है । लेकिन अगर ट्रैक्टर भी चलते हुए बैल की तरह पेशाब कर दे, तो जहां उसका डीजल आयल गिरेगा, वहां अन्न का एक दाना भी पैदा नहीं होगा ।

अगर हम विचार करके देखें, तो प्रत्येक दृष्टि से गौ का संरक्षण और पालन महत्वपूर्ण है । जहां तक मानवीय भावना का सम्बन्ध है, भारत में एक बहुत बड़ा बहुमत गौ का आदर और श्रद्धा की दृष्टि से देखता है और वह आदर और श्रद्धा गौ की उपयोगिता पर आधारित है । सरकार बहुमत की भावना को ठुकरा कर उसको पैरों तले रौंदना चाहती है, यह शोभाजनक बात नहीं है ।

कहा जाता है कि कुछ लोग गौ के प्रश्न पर राजनीति चलाना चाहते हैं और गौ वध का प्रश्न उठा कर राजनैतिक लाभ उठाना चाहते हैं । प्रश्न यह है कि सरकार यह अवसर क्यों देती है कि इस प्रकार की स्थिति आये और लोग उसका दुरुपयोग करें ।

इन सब बातों पर विचार कर के उचित यही है कि गौ-रक्षा के प्रश्न को महत्व दिया जाये और सरकार ने जो वायदे किये हुये हैं, उनको पूरा किया जाये । पिछले दिनों मैंने कृषि मंत्री को एक पत्र लिखा था । उन्होंने अपने उत्तर में कहा कि कुछ एसे प्रान्त हैं, जिन्होंने इस सम्बन्ध में कानून नहीं बनाये हैं और हम शीघ्र उनको लिखेंगे । लेकिन वह शीघ्रता बहुत लम्बी होती जा रही है । मेरा निवेदन है कि वह शीघ्र ही अपने प्रभाव का उपयोग करके लोगों के असन्तोष को दूर करें ।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

श्री रामजी राम (अकबरपुर) : चयरमैन महोदय, मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आज इस विधेयक का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं । जिस भावना और जिस ढंग से यह विधेयक पेश किया गया है, उस तरह वह पेश नहीं होना चाहिए था ।

[श्री रामजी राम]

वैसे तो वह युग नहीं रहा है, जब राजा रतिदेव के भोजनालय के लिये दो हजार गायें रोज कटती थीं। अब गौ के खाने का प्रचलन बन्द हो चुका है और गौ-वध के सम्बन्ध में विधेयक भी पास किये जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में कहीं ऐसा वाकया सुनने में नहीं आया है। अगर कहीं ऐसा वाकया होता है, तो ऐसी दफायें मौजूद हैं, जिन के तहत अपराधी को सजा मिलती है।

मैं यह विधेयक पेश करने वाले महानुभाव और अपने सम्मानित दोस्त से कहना चाहता हूं कि वह जो सिर्फ कहते हैं कि गौ माता है, लेकिन हम इस को मानते हैं। मैं आप का ध्यान गांवों की तरफ ले जाना चाहता हूं, जहां सही तौर पर गौ की पूजा होती है। गौ की पूजा करने वाले कौन हैं? वे लोग हैं, जिन को उन के धर्म ने अछूत कहा है, जिन का छूना वह पाप समझते हैं। उन की गौ की पूजा, रक्षा और खिलाना-पिलाना वे अछूत लोग करते हैं, जब कि गौ के दूध और अन्य लाभप्रद चीजों का इस्तेमाल हमारे ये बड़े मित्र करते हैं। जब उन की गौ माता मर जाती है, तो बेचारे अछूत उस को अपने कंधों पर लाद कर ले जाते हैं. मैं श्री वाजपेयी से पूछना चाहता हूं कि क्या ये लोग एसा करने के लिए तैयार हैं। जिन के माता-पिता मरते हैं, वे सब उन को अपने कंधों पर लाद कर ले जाते हैं और उन को जलाते या दफनाते हैं। लेकिन ऐसी कोई मिसाल हिन्दुस्तान में नहीं है कि माता मरे किसी की और कंधे पर ले जाये कोई दूसरा, और मरने के बाद उस का अन्तिम संस्कार करे कोई दूसरा।

मैं जानता हूं कि मुझे भी धमकी भरे पत्र मिलेंगे, लेकिन मैं उस की कतई परवाह नहीं करता हूं। हम ने तो हजारों सालों से इन लोगों की परतंत्रता, शोषण और अत्याचार को देखा और सहन किया है। आज भी अगर हिन्दुस्तान में हिन्दू धर्म की रक्षा करने वाले कोई हैं, तो वे हम अछूत लोग हैं—ये लोग नहीं हैं। अगर हम चाहते, तो हम मुस्लिम या क्रिश्चियन धर्म में चले जाते। लेकिन हम ने जन्म-जन्मान्तर से इस असहय पीड़ा को सहन किया है, खुशी से सहन किया है, जो धार्मिक भावना के तहत, धार्मिक किताबों ने हम पर लादी है, और हिन्दुस्तान में दुर्भावना का निर्माण किया है। ये लोग गौ-रक्षा का नारा लगाते हैं, लेकिन इन का सम्बन्ध अमरीका और दूसरे देशों से है, जहां गोवध निषेध नहीं है' लेकिन जहां गौ की उपयोगिता ज्यादा है।

आज गांवों में जमींदारी और तालुकेदारी प्रथा टूट चुकी है और एक इंच जमीन भी नहीं बची है जहां चरागाह हो। इस स्थिति में गौ कहां जाये और क्या खाये? ये तो उन इन्सानों के रहने के लिए भी जमीन नहीं देते हैं, जिन्हें ये धार्मिक भावना के तहत अछूत समझते हैं। इन के जगद्गुरु शंकराचार्य ने कहा है कि हिन्दुओं के जिस हिस्से को अछूत कहते हैं, वह जन्म से अछूत

है और वह कभी सछूत नहीं हो सकते हैं । यह इन लोगों की धार्मिक भावना और परम्परा है ।

जिस भावना से यह विधेयक पेश किया गया है, वह सदन के सम्मुख है । लेकिन मैं आगाह करना चाहता हूं कि अब ये सब बातें चलने वाली नहीं हैं । गौरक्षा होनी चाहिए और हम गौ-रक्षा के जबर्दस्त समर्थक हैं । मगर जो गौ का भरण-पोषण करने वाले हैं, जो हमारे बाप-बैल के पीछे चलने वाले हलवाहे के रूप में खेत मजदूर हैं, जो तपन और सर्दी में काम करते हैं, जिन के पास खाना और वस्त्र नहीं हैं, जो अन्न पैदा करते हैं, भवन-निर्माण करते हैं, पूरे हिन्दुस्तान का विकास करते हैं, लेकिन जिनके बच्चे सिसक-सिसक कर प्राण देते हैं, उन की तरफ इन लोगों की धार्मिक भावना क्यों नहीं गई है? इन लोगों का ध्यान पंन्द्रह करोड़ अछूतों की स्थिति की तरफ क्यों नहीं गया है ? क्यों नहीं इन लोगों ने, क्यों नहीं श्री वाजपेयी ने शंकराचार्य के सामने, मन्दिरों के महन्तों और मठाधीशों के सामने सत्याग्रह किया कि अछूतों पर अत्याचार बन्द किया जाये ? यह काम सरकार का नहीं है । अगर मुझे शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिड्यूल्ड ट्राइब्स कमिश्नर की रिपोर्ट पर बोलने का मौका मिला, तो मैं कहूंगा कि यह सरकारी मामला नहीं है, यह धार्मिक और सामाजिक मामला है और इसी दृष्टि से इस को हल करना है ।

आज ये लोग गौरक्षा का सवाल उठा रहे हैं। इन की भावना से प्रेरित इस तरफ़ या उस तरफ बैठने वाले सदस्यगण चाहे इस को बर्दाश्त करें, लेकिन हम पन्द्रह करोड़ अछूत इस भावना में बहने वाले नहीं हैं और न ही इस को चलने देने वाले हैं । मैं बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि इस बारे में सदन का दिमाग बहुत साफ होना चाहिए । आज इस किस्म के हथकंडों से अछूतों के वोट हासिल करना नामुमकिन है ।

ये लोग इस नीति को मानने वाले हैं : "अयं निजः परोवेति गणना लघुचेतसाम् । उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् ।" ये सारे संसार को कुटुम्ब न मानें, लेकिन हिन्दुस्तान को तो कुटुम्ब मानें, हिन्दुओं को तो कुटुम्ब मानें, पंद्रह करोड़ अछूतों को तो कुटुम्ब मानें । लेकिन नहीं, उन के लिए इन के मन में दर्द नहीं, इन के दिल में एठन नहीं है । इन का हार्ट 15 करोड़ अछूतों के लिए फेल नहीं होता है । इन का हार्ट कहां फेल होता है—गौ माता के लिए । सोचने की बात है । आज जिस हैसियत से जिस भावना से मैं बोल रहा हूं, मैं बाजपेयी जी से अदब के साथ कहना चाहता हूं कि इस को वे समझें, महसूस करें । अब वह बात चल नहीं सकती ।

It may be in your interest to be our masters, but how it is own to be yours slaves?

आप पहले इस स्लेवरी को जो सामाजिक और धार्मिक स्लेवरी है पहले उस को तो खत्म कीजिए उस के बाद फिर गऊ माता की बात कीजिए । आप बाप की तरफ जाते नहीं, माता की तरफ चले जाते हैं। माफ कीजिएगा लैंग्वेज के लिए, मैं कोई बात

[श्री रामजी राम]

दुर्भावना से नहीं कह रहा हूं। आप पहले उस अछूत की तरफ जाइए, उस की रक्षा की बात पहले कीजिए। आप यह संकल्प कीजिए कि आज से जो एक एक साल में 13–13 सौ वारदातें अछूतों के साथ होती हैं वह नहीं होने देंगे, लेकिन उस के ऊपर आप के घड़ियाली आसू नहीं बहते। आप किंग्सवे कैम्प की घटना की बात तो करते हैं लेकिन आपने गाजियाबाद की बात नहीं कही जहां एक अछूत लड़के को तेल छिडक कर जला दिया गया। जलाने वाले कौन थे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) : आप ने क्यों नहीं उठाया ?

श्री रामजी राम : हम लोग उठा रहे हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इस के लिए हम लीडर हैं और उन के लिए आप के वह लीडर हैं ?

श्री रामजी राम : इसलिए मैं अदब के साथ कहना चाहता हूं इस बात को समझने के लिए इन का दिमाग साफ होना चाहिए और मैं यह आगाह करना चाहता हूं कि ऐसी दुर्भावना फैलाने वाले चाहे वह लोक सभा के अन्दर हों चाहे लोक सभा के बाहर हों बन्द होने चाहिए।........... (व्यवधान)......... कांस्टीट्यूशन में तो सारी चीजें हैं। जोशी साहब ने फरमाया कि अनटचेबिलिटी कोई समस्या ही नहीं है। और मैं कहता हूं कि आज सारी समस्या यही है। मैं उस दिन बताऊंगा जब इस पर बोलूंगा कि कैसे आप ने इस को उपजाया और इस को आप बन्द नहीं करना चाहते हैं। इसलिए मैं बहुत जोरदार शब्दों में इस भावना का और जिस भावना के तहत यह विधेयक पेश किया गया है उस की सख्त मुखालफत करता हूं और पुरजोर मुखालफत करता हूं।

श्री सोमचन्द सोलंकी (गांधी नगर) : सभापति महोदया, माननीय सदस्य ने अभी जो वक्तव्य दिया है उस में उन्होंने गाय के साथ जो अछूत हैं उन का कम्पेरिज़न किया। मेरे ख्याल से अछूतों को जो मुसीबत होती रही है इस देश में उस के लिए तो कास्ट हिन्दू जवाबदेह हैं। लेकिन गाय के साथ अछूतों की जो दशा है या परिस्थिति है उस को जोड़ना यह विषय की गुणवत्ता की दृष्टि से ठीक नहीं कहा जा सकता। क्यों कि उन्होंने वक्तव्य दिया है वह बिलकुल रौद्र रूप में दिया है। वह जैसे विषय का परिवर्त्तन होता है, दूसरा साइड आ जाता है उस तरह का है। पहले भाग में उस का विरोध किया और बाद में गऊ रक्षा का समर्थन किया। तो उस के साथ जो रौद्र रूप था उस में भी थोड़ा फर्क होना चाहिए था। उन के बोलने का जो ढंग था वह भी बदलना चाहिए था। जब सपोर्ट करना है तो शांतिपूर्वक होना चाहिए और इस में भी रीज़न बता कर समर्थन करना चाहिए। हरिजनों की जो दशा है उस के लिए गाय जिम्मेदार है ऐसा कहने का कोई इस में अर्थ नहीं है। गाय का इसलिए वध नहीं होना चाहिए कि यह देश खेती प्रधान देश

है और गाय उस में एक महत्वपूर्ण प्राणी है । उस को धार्मिक दृष्टि से देखा जाय तो भी और देश में मेजारिटी हिन्दू की है और उन का धर्म भी हिन्दू है, लेकिन धर्म से मैं यह नहीं कहता कि इस का संबंध है, चाहे कोई मुसलमान हो लेकिन वह भी अहिंसा को तो मानता है, मुसलमान गाय का कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन जब खेती प्रधान देश है तो हम को उस का समर्थन करना चाहिए और जो देश का गौरव है, देश का आधार जिस पर है उस प्राणी का, उस जीव का संहार करना अच्छा नहीं है । आर्थिक दृष्टि से देखिए चाहे धार्मिक दृष्टि से देखिए, उस को हम आज ज्यादा से ज्यादा पवित्र मानते हैं तो ऐसे धार्मिक दृष्टि से भी मानिए तो भी उस का वध करना अच्छा नहीं है । और इस देश में, खेती प्रधान देश में जिस की जरूरत ज्यादा है उस का वध करने से बहुत बड़ा नुकसान होता है ऐसा तो हमारे शास्त्र और इतिहास सभी मानते हैं । आज ट्रैक्टर और ट्यूबवैल के जमाने में उस की कम उपयोगिता होगी लेकिन देश पर उस का जो प्रभाव है उस की उपयोगिता का जो प्रभाव है वह कुछ कम नहीं है । तो राम जी राम ने जो उस का विरोध किया है उस के लिए मुझे बड़ा दुख है । वह महत्व पूर्ण व्यक्ति हैं और जो कोई गूंगा बहरा और मूर्ख आदमी का भी प्रस्ताव आता है तो उस के समर्थन की बात होती है, वे लोग उस का समर्थन करते हैं । लेकिन एक विरोधी दल के सदस्य ने यह प्रस्ताव रखा है तो उस के लिए उस का विरोध करना चाहते हैं । यह तो मूर्खता है । हां, यह तो है कि वह उस का विरोध भी न करें समर्थन भी न करें, लेकिन उस पर जोर से बोलना यह शर्म की बात है । लेकिन इस में शर्म भी नहीं आती है । शर्म भी कोई चीज है जो हमें बाजार में ढूढने से नहीं मिलती । वह तो समझने की चीज है कि किस चीज का हम विरोध कर रहे हैं ।

यह जो विरोध हो रहा है इस के लिए तो देश की जनता और गैलरी में जो बैठे हुए हैं वे तो समझते हैं कि यह क्यों विरोध कर रहे हैं ?

15.57 hrs.

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

श्री शशि भूषण : अध्यक्ष महोदय, यह विजिटर गैलरी को रेफर करे रहे हैं और हमारे आनरेबल मेम्बर को अभी कहा कि उन को शर्म नहीं आती वह क्यों ऐसा बोले.. इन को शर्म आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए ......

श्री सोमचन्द सोलंकी : आप को भी दोबारा शर्म आनी चाहिए ।........ (व्यवधान)....... शर्म आनी चाहिए, बोलने वाले को, विशेषकर खराब बोलने वाले को..........

श्री शशि भूषण : अध्यक्ष महोदय, ये इतने बेशर्म हैं कि सब को शर्म देते फिरते और अपने सर पर नहीं लाते हैं ।

श्री सोमचन्द सोलंकी : आप तो शर्म और बेशर्म दोनों साथ रहे, वह दोनों आप के साथ हैं।......(व्यवधान).......

[श्री सोमचन्द सोलंकी]

तो मैं इस का समर्थन इसी लिए करता हूं कि देश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए तथा लोगों की मनोवृत्ति और हृदय की भावना का जब हम समथन करते हैं और उस की जो भावना है उस का समर्थन कर के हम सहकार प्राप्त करना चाहते हैं तो यह गोवध जिस के लिए अनेक आन्दोलन हुए हैं कि बन्द होना चाहिए, अभी पांच सात साल पहले इस के लिए आन्दोलन हुआ था और उस के ऊपर आश्वासन भी दिया था, इतने साल गुजर गए, लेकिन तब भी सरकार ने वह विधेयक तैयार नहीं किया और उस के ऊपर कोई समर्थन नहीं किया, उस के ऊपर कोई चर्चा नहीं की, कोई निर्णय नहीं लिया, तो मेरा कहना है कि सरकार भी इस के ऊपर जरा ध्यान से और गहरी दृष्टि से देखे और गोवध बन्द हो। इसके लिए जनता की भी आवाज है और हमारी भी आवाज है । आप. विरोध करते हैं लेकिन आपके हृदय में तो है कि गोवध बन्द होना चाहिये। इसलिए मेरा कहना है कि इसको बन्द करने के लिए सरकार ठोस कदम उठाए और इस प्रस्ताव को जो हमारे सामने है स्वीकार करे और स्वीकार करके इसका प्रसार करा कर देने का कल्याण करे ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: We have already exhausted the time allotted for this discussion, but there are some more names here—Shri Swami Brahmanandji, Shri Ramkanwar, Shri Vajpayee, Shri Shambu Nath. What does the House want to do? We have already exhausted the time.

AN HON. MEMBER: Extend the time.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Extend by how much? (*Interruption*). By another half an hour?

SOME HON. MEMBERS: One hour.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Half an hour should be enough.

16.00 hrs.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) उपाध्यक्ष जी, जब भारत के संविधान का निर्माण हुआ तो सविधान के निर्माताओं के सामने गोवंश की रक्षा और विकास का भी प्रश्न था। राज्य के निदेशक सिद्धान्तों में उन्होंने राज्य पर इस बात की जिम्मेदारी डाली है कि वह गोधन की रक्षा करें और विकास करे। मैं अनुच्छेद 48 आपके सामने पढ़ कर सुनाना चाहता हूं—

"The State shall endeavour to organise agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines and shall in particular take steps for preserving and improving the breeds and prohibiting the slaughter of cows and calves and other milch and draught cattle.".

केवल दुधारू पशु की रक्षा हो—संविधान के निर्माताओं की यह मंशा नहीं थी। पशु दूध देना बन्द कर दे, फिर भी उसका वध रोका जाना चाहिये—संविधान का यह निदेशक सिद्धान्त स्पष्ट है। अब अगर सत्तारूढ दल के कुछ सदस्य संविधान में परिवर्तन करना चाहते हैं, अनुच्छेद 48 को निकाल देना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, उन्होंने संविधान में अनेकों संशोधन किये हैं, एक संशोधन यह भी ले आइये, पता लग जायेगा कि कौन कहां क्या कर रहा है। लेकिन जिस संविधान की आपने शपथ ली है और जिसके निर्माण

में हमारा हाथ नहीं है—भारतीय जनसंघ का निर्माण तो बाद में हुआ है—डा० बाबा साहब अम्बदकर इसके निर्माता थे, उस संविधान के द्वारा राज्य पर जो दायित्व डाला गया है राज्य उसका पालन करता है या नहीं—यह प्रश्न है।

प्रश्न धार्मिक नहीं है। प्रश्न साम्प्रदायिक नहीं है। प्रश्न स्पष्ट है कि राज्य के निदेशक सिद्धान्त का सरकार पालन करेगी या नहीं। अभी जब पिछली बार हमने संविधान का संशोधन किया, मूलभूत अधिकारों में कटौती की, तो बड़े ज़ोर-शोर से इस सदन में कहा गया था कि हम नागरिकों के मूलभूत अधिकारों को खत्म करना चाहते हैं क्योंकि हम राज्य के निदेशक सिद्धान्तों का पालन करना चाहते हैं। उस समय डाइरैक्टिव प्रिन्सिपल्ज़ फण्डामेंटल राइट्स से ऊपर थे और आज डाइरैक्टिव प्रिन्सिपल के अनुसार गोवंश के वध पर रोक लगाने की मांग की जा रही है तो इस प्रश्न को कहा जा रहा है कि राजनीतिक और साम्प्रदायिक है। क्या संविधान के निर्माताओं ने इस का विचार नहीं किया था और अगर नहीं किया था तो आप फिर से विचार कर लीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय, अनेक राज्यों में कानून बने हैं, दुधारू पशु का वध रोका गया है। जैसे सेठ जी ने अभी कहा है कि बैल के बारे में एक अपवाद किया गया था कि बैल बूढ़ा हो जाय तो उसका वध रोका नहीं जा सकता, क्योंकि कुछ लोगों के मूलभूत अधिकारों का हवाला देकर यह कहा गया था कि वध करना उनका पेशा है और सरकार उनको उनके पेशे से वंचित नहीं कर सकती। अब जहां तक बैल का सवाल है—वह भी मामला हल हो गया। अब तो फण्डामेण्टल राइट्स (मूलभूत अधिकार) घटा सकते हैं, काम कर सकते हैं और निदेशक सिद्धान्तों को ऊंची जगह दे सकते हैं। तो मेरा निवेदन है कि अब अनुच्छेद 48 का सम्मान किया जाय, इसको अमल में लाइये और गोवंश के वध पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाना चाहिये।

मैं यह भी निवेदन कर दूं कि यह जो तर्क दिया जा रहा है कि अगर निरुपयोगी पशुओं का वध नहीं किया गया तो उनकी संख्या बहुत बढ़ जायगी, कहीं ऐसा न हो कि आदमियों के खाने के लिए ही न बचे, वे ही सब खा जायं—तो 25 सालों से निरुपयोगी पशुओं का वध चल रहा है, क्या उनकी संख्या घट रही है। उनकी संख्या घट नहीं रही है। एक बार जब वध करने की छूट दे दी जायगी तो निरुपयोगी पशुओं का वध कम होता है और जिस पशु से अधिक चमड़ा मिलता है, अधिक कीमत मिलती है अधिक मांस मिलता है उसका वध होता है...

डा० गोविन्द दास : बम्बई और कलकत्ता के कसाईखाने देखिये।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : लोग अच्छी गाय ले जाते हैं, जब तक दूध देती है, पालते हैं, उसने दूध देना बन्द किया तो सरकारी कसाईखाने में भेज दी जाती है, क्योंकि वहां सूखी

होने पर गाय रखने का प्रतिबन्ध नहीं है। यह भी प्रश्न आता है कि अनुपयोगी पशुओं का क्या होगा? अनुपयोगी पशुओं के लिये सरकार ने कानून बनाये हैं, गोसदनों का निर्माण किया जा सकता है, जहां घास विपुल मात्रा में उपलब्ध है, वहां रखे जा सकते हैं। उनके शरीर के सींग और नाखूनों का उपयोग किया जा सकता है। आज इस सम्बन्ध में एक नया प्रयोग करने की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय सरकार इस वायदे से बंधी हुई है कि वह गोवंश के वध पर प्रतिबन्ध लगायेगी, इसलिये उसने एक कमेटी का भी निर्माण किया। लेकिन कमेटी में इस बात पर विवाद पैदा हो गया कि क्या यह प्रश्न भी खुला हुआ कि गोवंश के वध को रोका जाय या न रोका जाय। मेरा निवेदन यह है कि जब आन्दोलन चला था और आश्वासन दिये गये थे, उस समय यह आश्वासन स्पष्ट था कि सरकार मानती है कि गोवंश का वध रोकना चाहिये, अब कमेटी को केवल यह विचार करना है कि यह काम किस तरह से किया जाय। लेकिन कमेटी के निर्माण के बाद उसका आधार बदल दिया गया, इसीलिये कुछ सम्मानित सदस्यों ने त्याग-पत्र दे दिये। नये सदस्य नियुक्त किये गये तो अध्यक्ष महोदय ने त्यागपत्र दे दिया।

मेरा निवेदन है कि सरकार इस सम्बन्ध में नीति की स्पष्ट घोषणा करे और इस सिद्धान्त को स्वीकार करे कि गोवंश के वध को रोकना चाहिये और फिर किस तरह से कदम उठाये जांय, इस पर विचार करे। यह विचार सब के साथ मिल कर हो सकता है।

मैं इस विषय में और चीज़ों को नहीं लाना चाहता। हमारे मित्र बड़ी उत्तेजित भावना वाले हैं, जैसे स्वर्ण हिन्दुओं के सारे पाप हमारे ही सिर पर हैं...

एक माननीय सदस्य : उनके लीडर आप बनते हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हम लीडर हैं, लेकिन कल स्वामी जी कह रहे थे कि ब्राह्मण राज्य हो रहा है——ब्राह्मण राज्य अटल बिहारी वाजपेयी ने तो नहीं बनाया है, उधर बैठने वालों ने बनाया है। जहां तक हरिजनों का प्रश्न है, वह एक अलग प्रश्न है, हरिजनों की स्थिति में अवश्य सुधार होना चाहिये। बम्बई के पावड़ा में जो अत्याचार हुआ, महाराष्ट्र के मन्त्रिमण्डल के एक सदस्य हैं, उनके बड़े भाई ने पावड़ा में हरिजनों पर अत्याचार किया, उन्हें चुनाव नहीं लड़ने दिया, उनका बहिष्कार किया और महाराष्ट्र की कांग्रेस सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की, मैंने इसके खिलाफ़ बम्बई में भूख हड़ताल की——मैं इस तरह की बात कहना नहीं चाहता, लेकिन हरिजनों का विषय अलग है, दोनों को मिलाने की जरूरत नहीं है। गाय के सम्बन्ध में हमें इस समय स्पष्ट विचार करना चाहिये——इस बात की आवश्यकता है।

श्री शम्भूनाथ (सैदपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक को देखने और यहां पर हुए भाषणों को सुनने के बाद हमारे दिमाग में दो बातें आती हैं। एक तो कुछ ऐसे लोग हैं जो धार्मिक और सांस्कृतिक दुहाई दे कर, उन में से हमारे एक बड़े बुजुर्ग नेता सेठजी भी हैं, गोवध को बन्द करना चाहते हैं और दूसरे कुछ लोग ऐसे हैं जो इसमें आर्थिक पहलू को भी डालते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक धर्म और संस्कृति का सवाल है अगर उस नाम पर कोई आदमी चाहता हो कि इस देश को गुमराह कर—जैसे हजारों वर्षों से किया है और आज भी करना चाहते हैं, ऐसे लोग अगर इसी मंशा से इस विधेयक का समर्थन करते हैं तो मैं समझता हूं कि इसका डट कर उन लोगों को विरोध करना चाहिए जो इस देश का उत्थान चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, चुनाव के दर्मियान उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के खिलाफ़ बड़े-बड़े पैम्फलेट निकाले गये, उन में गाय छपी हुई थी, तलवार से एक आदमी उसको काट रहा था और उसका खून बह रहा था। इतना ही नहीं—इन्दिरा गांधी जी और कांग्रेस के बारे में कहा गया कि ये गोवध कर रहे हैं। बड़े-बड़े नारे लगाये गये। 1967 के चुनावों में तो इन को इन बातों का कुछ फायदा मिल गया, लेकिन वह बात पुरानी हो गई और अब के चुनाव के जो नतीजे निकले, वह आप सब को मालूम है—मिडटर्म पोल में इन की जो दुर्दशा हुई वह किसी से छिपी नहीं है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ—आर एस एस।....

(व्यवधान).... उसमें लिखा रहता था—अरे उसका नाम लेना भी पाप है। आर एस एस लिखा था नीचे। मैं सरकार से भी कहना चाहता हूं कि इस कम्युनल आर्गेनाइजेशन को हमारी कांग्रेस की सरकार ने 25 वर्षों तक पनपाया है और बढ़ाया है। इसकी सारी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है नहीं तो आज इस तरह की बात नहीं होती।

मैं जोशी जी से बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि नागालैंड में, कोहिमा में हम और आप गये थे हाउसिंग कमेटी के सिलसिले में। मावो हिल पर चाय के बाद जब दूकान पर आये तो बोरे में बंधा हुआ एक कुत्ता चिल्ला रहा था। मैंने आपका हाथ पकड़ कर कहा था कि बोरे में क्या है तो आपने उस आदमी से पूछा था और उसने कहा था कि यह कुत्ता है। आपने पूछा था कि इसका क्या करोगे तो उसने कहा कि 14 रुपये में खरीदा है और इसको अपने सबसे अजीज़ मेहमान को खिलाने के लिए, उसकी दावत के लिए ले जा रहा हूं। मैं ने आप से कहा था कि जोशी जी, आप जनसंघ के सेक्रेटरी हैं, अगर आप वाकई में जनसंघी हैं तो पलथी मार कर बैठिये यहां और भूख हड़ताल कीजिये। पहले यह कहिये कि इस देश से कुत्ता खाना बन्द हो और तब गौमाता की दुहाई दीजिये। आपके मुंह से कोई बात नहीं निकली थी :

श्री जगन्नाथ राव जोशी : मुझे बहुत दुःख

श्री शम्भू नाथ : मैं चूंकि एक्स्टम्ड नहीं हूं कुत्ता खाने के लिए वरना मुझ को कोई परेशानी नहीं है । मेरे बाप ने गाय खाई है । मैं आप से कहता हूं कि मेरे फोरफादर्स ने मरी हुई गाय खाई है और आपने खिलाई है । अब हम नहीं खाते हैं क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई है । लेकिन मेरे फोरफादर्स ने खाई है, आपने खिलाई है, ब्राह्मणों ने खिलाई है । इस देश की गद्दार कौम ब्राह्मण ने खिलाई है । आज उसी गौमाता की दुहाई दी जाती है । रामायण में एक सिरे से दूसरे सिरे तक लिखा है उसको आप देख लीजिये, रामायण से मुझे घृणा नहीं है, मैं भी अपनी बिरादरी के धर्म गुरुओं में से हूं, मैं भी उस पंथ को मानता हूं, ऐसा नहीं कि मैं भगवान को नहीं मानता, लेकिन आप रामायण पढ़िये उसमें हर जगह लिखा है कि गौ और ब्राह्मण की रक्षा करो । बाकी जितने हिन्दुस्तान में हैं वे सब चले जायें ? अरे इस पूंजीवादी व्यवस्था में यह ब्राह्मण और बनिया दोनों भाठ की तरह से उन राजाओं के गीत गाते थे । उसमें यहां तक लिखा हुआ है कि ब्राह्मण को अगर जोर से डांट दो तो स्वर्ग नहीं मिलेगा, न मालूम कितनी योनियों तक नर्क मिलेगा । यही नहीं, आज भी जो धार्मिक भावना पीछे लगी हुई है उसमें पंडित जी लोग, पैदा होने से मरने तक भारतवर्ष में जो रीति रिवाज हैं उनके जरिये से बैठ करके, वेद मंत्र तो आता नहीं, मूल मंत्र आता नहीं, श्लोक वांचने का ज्ञान नहीं, गड़बड़ सड़बड़ पढ़ करके 38 करोड़ रुपया इस देश में गौ और ब्राह्मण की दोहाई दे करके खा जाते हैं । हिन्दू धर्म वाले अपने यहां किसी के मरने के समय सोचते हैं, अरे भाई इसके प्राण पखेरू जा रहे हैं, जल्दी से पुरोहित को बुलाओ, गौ माता को बुलाओ, बीस आना दे करके उसकी पूंछ पकड़ाओ । क्या करेंगी गौमाता ? वैतरणी पार करायेगी । क्या यही परम्परा चाहते हैं गौ के नाम पर ? अगर इसी नाम पर चाहते हैं कि गोवध बन्द हो तो हम इसका डट कर विरोध करेंगे ।

जहां तक इसके आर्थिक पहलू का सवाल है, उसको हर आदमी चाहता है लेकिन आज इस देश में कोई भी आदि शंकराचार्य, कोई भी महात्मा, कोई भी ऐसा पुरुष और ब्राह्मण नहीं निकल रहा है, दिखाई नहीं पड़ रहा है जोकि उन गायों की रक्षा कर सके, वह गायें जो दूध नहीं देतीं, उनको सड़क पर घूमने के लिए छोड़ दिया जाता है । आज इसी दिल्ली शहर की गलियों में आप चले जाइये तो आप देखेंगे कि जो गायें दूध नहीं देतीं उनको छोड़ दिया गया है, उनको कोई नहीं पूछता है । वह लावारिस फिर रही हैं । हमें उन गायों की प्रोटेक्शन करनी है जोकि 10, 15 या बीस सेर दूध देती हैं और हमारी खेती के काम आती हैं । ऐसा कोई भी जानवर क्यों न हो उसकी प्रोटेक्शन हमें करनी है । वह तो है नहीं । यहां एक कमेटी बिठा दी गई तो आपस में मत मतान्तर हो गया क्योंकि इस देश के वैज्ञानिकों का एक तरफा कहना है कि इतनी गाय अनएकोनामिक हैं, इनसे देश

के सामने एक समस्या हो जायेगी हमारे सामने फाडर की सकस्या हो जायेगी ।एक बड़ी भारी प्राब्लम हमारे सामने आयेगी । दूसरी तरफ धर्म की आड़ में कुछ लोग एलेक्शन के समय में कांग्रसी को गाय काटने वाला दिखाते हैं। मैं वाजपेयी जी से कहना चाहता हूं कि हरिजन के पास तो गाय है ही नहीं, वनियों के पास या जिसके पास खेती है उनके पास गाये है उनको आप समझाइये, वे लोग क्यों कसाईखानों को देते हैं। हमारे वाजपेयी जी, हमारे सेठ जी, आदि शंकराचार्य, गुरु गोवालकर और हमारी बड़ी मुसीबत यह है कि हमारे पहलू में हमारी कांग्रस में भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं जो ऊपर ऊपर माला जपने वाले हैं वह दुहाई देते हैं, गाय की और ब्राह्मण की। वे चन्दन का टीका भी लगाते हैं, देवी की पूजा भी करते हैं, जन्माष्टमी भी मनाते हैं। हम तो अपने कांग्रसियों से परेशान हैं नहीं तो यह मामला अब तक समाप्त हो गया होता।

एक बात और है। यह हमारा देश कैसा है? इसमें भिन्न भिन्न संस्कृतियां हैं रहने सहने अलग अलग हैं वेषभूषा अलग अलग है और भोजन अलग अलग हैं। उत्तर प्रदेश का आदमी चावल और रोटी खाता है, पंजाब का आदमी रोटी खाता है, केरल का आदमी चावल खाता है, नागालैंड का आदमी चावल खाता है और कुत्ता भी खाता है। आज उसका सबसे बढ़िया खाना कुत्ता है। इस तरह का यह देश है चारों तरफ से मिला हुआ यहां पर हमें सभी को साथ लेकर के चलना है। यहां पर किसी का फंडामेन्टल राइट यह भी है कि हमारे सूबे में गाय पैदा होती है, हम हमेशा से उसको खाते चले आये हैं, उसको खाने का हमारा हक है तो यह कहां लिखा है कि यह उसका फंडामेन्टल राइट नहीं है। मैं आपसे कहता हूं कि आप नागालेंड में जाकर कहिए कि कुत्ता मत खाओ। अगर वे कहते हैं कि हमेशा से खाते आये है हमारे लिए ठीक है तो आप उनको बन्द नहीं कर सकते हैं। कौन सा विधान और कानून है जिसमें आप उनको बन्द करेंगे? इसी तरह से अगर केरल के आदमी कहते हैं कि हम गाय खायगे तो आप उनको कैसे बन्द करेंगे? यह जरूर है कि गोरक्षा हो लेकिन उन गायों की रक्षा हो जिनसे हमें दूध मिलता है।

डा० गोविन्द दास : आप कलकत्ता के कसाई खाने में जाकर देखिये।

श्री शम्भु नाथ : हम गाय को उठाने वाली कौम से पैदा हुए हैं और आप दूध पीने वालों में से हैं। मुझ से ज्यादा आपने कसाई खाने नहीं देखें होंगे। मुझ से ज्यादा आप नहीं जानते हैं। कसाई खानों में गाय देने वाले भी बनिये और ब्राह्मण ही हैं या अपर क्लास वाले जिनको कहा जाता है वह हैं। हमारे पास तो गाय है ही नहीं। तो इसलिए मैं इसका विरोध कर रहा हूँ। आज महाराष्ट्र आंध्र और सारे देश में सूखा पड़ा हुआ है। इसके एकोनामिक पहलू पर कोई बात करे वह समझ में आती है। अगर नार्वे, स्वीडेन और हिसार से गाय मंगाकर उनकी कोई योजना बने तो बात

समझ में आती है लेकिन यह कहना कि सम्पूर्ण गोबध बन्द हो यह कहां का तर्क है ? हमारे जगजीवन राम जी ने एक वक्तव्य दे दिया था कि यहां पर गोबध होता था किसी ज़माने में तो सारे जो कम्यूनल लोग हैं आदि गुरू शंकराचार्य से लेकर गुरू गोलवाल्कर और उनके फालोवर्स सब एक तरफ से खड़े हो गये। ....(व्यवधान).. मैं अपने सेठ जी से कहना चाहता कि संस्कृति के नाम पर इसकी दुहाई देने से यह देश नीचे जायेगा । ...(व्यवधान).... मैं आपकी घन्टी सुन नहीं सका इसलिए माफी चाहता हूं । मैं बहुत अदब से कहना चाहता हूं कि जहां तक इस प्रश्न के आर्थिक पहलू का सम्बन्ध है कोई भी हिन्दुस्तान में गोवध की रक्षा करने से इनकार नहीं कर सकता लेकिन जो अनएकानमिक काऊ है उस के बध में हिन्दुस्तान में किसी को भी एतराज नहीं होना चाहिए ।

इन शब्दों के साथ में इस विधेयक का डट कर विरोध करता हूं क्योंकि यह राजनीतिक तौर पर लगाया गया है ।

श्री रामकंवर (टांक) : उपाध्यक्ष महोदय श्री चौहान ने गोवध रोकने के लिये जो विधेयक पेश किया है मैं उस का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मुझे आज इस सदन में इस बात का खेद है कि सत्तारुढ़ दल उसी गाय के चिन्ह से आज तक राज्य चला रहा है और जिन्दा रहा है, लेकिन वही इस बिल का विरोध कर रहा है । यह चीज हिन्दू धर्म की एक मुख्य बात है क्यो कि हमारे देश में स्वतंत्रता के पच्चीस वर्ष बाद भी गोबध हो रहा है । सरकार विकास की बात करती है, छोटे गांवों की बात करती है, छोटे गांवों को पानी, बिजली और मकान देने की समस्या की बात करती है, लेकिन, मैं पक्षपातपूर्ण बात नहीं कह रहा हूं, छोटे गांव वालों को यह भी पता नहीं है कि हिन्दुस्तान में अभी भी गोवध हो रहा है । अगर उन को किसी तरह से पता भी चलता है तो सत्तारूढ़ दल वाले उस पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं । अगर सही बात उन लोगों के सामने आती तो सत्तारूढ पार्टी के इतने सदस्य चुन कर यहां न आते ।

मैं कहना चाहता हूं कि मैं भी अनुसूचित जाति का सदस्य हूं और जिस तरह से अनुसूचित जाति के लोग सत्तारूढ़ दल में चुन कर आये हैं, उसी तरह से मैं भी विरोधी दल से चुन कर आया हूं। लेकिन यहां पर अनुसूचित जातियों की इतनी भारी संख्या में चुन कर आने का कारण यही नहीं है कि ब्रह्मणों ने हमारा शोषण किया है, या अन्य जातियों ने हमारा शोषण किया है । हम यह भी नहीं समझते हैं कि गोबध रोकने का विरोध करने पर ही हमारा उद्धार होगा । जो हमारे साथ अन्याय करेंगे, जो हमारे साथ छुआछूत करेंगे हम उनका बराबर विरोध करेंगे । लेकिन गोबध से तो अनुसूचिनत जाति के लोग आज भी बंधे हुए हैं । जिन्दा गाय तो दूर रही, वह लोग गाय के चिन्ह पर ही मर मिटते हैं । अगर गाय का चिन्ह लेकर कोई आ जाए तो चाहे वह जनम का पापी हो, उस के पत नमर-पर मोहर लगाने के लिए वह आज भी तैयार है ।

मैं अनुसूचित जातियों की तरफ से कहना चाहता हूं कि अभी जो हमारे भाई बोल रहे हैं थे और जो अपने को अपने समाज का गुरू मानते हैं, मैं उनके साथ उन के यहां चलने को तैयार हूं। मैं उनको दिखला दूंगा कि वहां के अछूत जाति के लोग गोवध को जारी रखना कभी स्वीकार नहीं करेंगे।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं भी अछूत जाति से आता हूं लेकिन मांस नहीं खाता हूं। अगर कोई ब्राह्मण उसको खा ले तो शायद पचा भी लेगा लेकिन मेरा चरित्र उन से दस गुणा अच्छा है क्योंकि मैं तो इन चीजों को नजदीक भी नहीं आने देता। इस लिए कहता हूं कि अनुसूचित जातियो के लोग गोवध या कुत्ते बिल्ली तक को भी मारना भी स्वीकार नहीं करेंग। मैं शुरू से हिन्दूधर्म पर चलता आया हूं और उन परम्पराओं को कायम रखना चाहता हूं।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक अधिकारों की लड़ाई का सवाल है मैं उसके लिए लड़ता रहूंगा। आज भले ही कांग्रेस पार्टी के अनुसूचित जाति के लोग यह महसूस करते हैं कि वह कांग्रेश पार्टी में इस लिए हैं कि उन को दो रोटियां मिल जाती हैं, लेकिन मैं 20 साल से वरोधी दल में हूं और उन लोगों से अच्छी हालत में हूं। मैं किसी प्रकार की नू: ख़ोट नही करता हूं और न सरकार से किसी प्रकार की सहायता मांगता हूं। मैं अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को सलाह देता हूं कि वह अपने हाथ पैरों पर हो खड़े हो कर दो रोटियां खाएं तो वह उन के लिए ज्यादा लाभदायक होगा।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का पूर्ण समर्थन करता हूं और कहता हूं कि गोवध बंद होना चाहिए। यही नहीं अनुसूचित जातियों के लोग कुत्तों और बिल्लियों के मारे जाने का भी समर्थन नहीं करेंगे।

श्री स्वामी ब्रह्मानन्द जी (हमीरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं मानवतावादी हूं इस लिये किसी जाती या सम्प्रदाय विशेष को नहीं मानता। कबीर ने भी कहा

पांडे काहे बकरिया मारी,
पानी पियती, घारस चरती,
कहा लिये विचारी,
मरी बकरिया चढ़ी, पतीली,
जियत के छूत बिचारी।

पंडित लोग बकरी को छूते में छूत मानते हैं लेकिन मार कर खा जाते हैं। इसी लिये कबीर साहब ने कहा

पांडे काहे बकरिया मारी,
पानी पियती, घास चरती,
कहा लिये बिचारी,
मरी बकरिया चढ़ी पतीली,
जियत के छूत बिचारी,
अवधू दोनों दीन कसाई।

उन्होंने साम्प्रदायिकता के खिलाफ कहा:

हिन्दू मारे मेढ़ा बकरा,
तुरक मुर्ग घर खाई,
हाड़ मांस दोनों में एकई,
भारत दया न आई।

[श्री स्वामी ब्रह्मानन्द जी]

हमारे जितने भी ऋषि मुनि हुए, जितने ऊंचे दर्जे के महान पुरुष हुए, उन्होंने गाय के लिये कहा कि महान चीज है, गाय की विशेषतायें भी बतलाई। परन्तु हिंसा और मांस आदि के आगे जाति सम्प्रदाय के लिये भी कबीर साहब ने कहा

मूत का तू भी, मूत का मैं भी,
मूत का सब संसारा,
कहें कबीर सुनो भाई साधो,
कौन मूत से न्यारा ।

इसी तरह से नानक देव ने कहा :

जो तू ब्राह्मण जन्म से आया, और ठौर से क्यों नहीं आया ।

वहां से तो मेहतर आया है, तुझ को कान से निकलना था। हमारे यहां जाति के अभिमानी लोगों ने हरिजनों पर अत्याचार किये, जुल्म किये। इसके मारे हम सब को क्षोभ हैं, परन्तु जहां तक गायों का सवाल है, अगर उस पर हम ठंडे दिमाग से सोचें तो मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर तम्बाकू क्यों बोई जाती है ? इसके लिये कानून बनाना चाहिये कि तम्बाकू की जगह गेहूं बोया जाय, तम्बाकू की जगह जानवर का चारा लगाया जाये। तम्बाकू से क्या लाभ होता है ? महुआ से शराबें बनती है, शराब से क्या लाभ होता है ? मैं कहता हूं कि शराब उपदेश से नहीं छूट सकती, लोग चोरी से बना कर भी पी सकते हैं, लेकिन तम्बाकू को तो कानून से रोकना चाहिये। आखिर कोई छत पर थोड़े ही बो लेगा ।

मैं साम्प्रदायिकता को नहीं मानता। मानवता के लिहाज से अगर देखा जाये तो सारी नशीली चीजें बन्द होनी चाहियें। आज जो भी झगड़े होते है, उपद्रव होते है, अगर लोग सतोगुणी चीजें खायें तो वह उन से रुक सकते हैं । लोग दूध पियें, फल खायें तो उन की बुद्धि निर्मल होगी।

मेरी एक बात समझ में नहीं आती। लोग कहते हैं कि आबादी बढ़ गई । एक बार घूस इतने बढ़ गये कि लोग कहने लगे कि अगर घर से घूस निकाल दिये जायें, (जिन को हम घूस कहते हैं), तो हम पैसे देंगे। एक बार यह हुआ कि इतने घूस खत्म हो गये कि एक जर्मन डाक्टर को कहना पड़ा कि हमें कोई एक घूस दे दे तो मैं 500 रु० दूंगा । मैं बतलाना चाहता हूं कि प्रकृति ने जब आदमी बनाये हैं तो वह उन का संहार भी करेगी। कुछ नहीं बचेगा । तमाम के तमाम जानवर बच जायेंगे, आदमी नहीं बचेंगे। यह सारा काम तो प्रकृति करती है । जब माली मिर्च लगाता है, पौदा लगाता है, तो सोचता है, कि उसकी खुराक दूसरे पौदे न खा जायें। जिस ने हम को बनाया है, उस ने माता के सीने में दूध भी पैदा कर दिया है। अगर यह बात आप सोचें कि आदमी बढ़ जायें तो कौन चीज कहां से आयेगी, यह भी ठीक नहीं है। आज हम देखते हैं कि एक ओर तो आदमी सरदी खा रहे हैं दूसरी ओर पूंजी पतियों के घर में कम्बल पड़े सड़ रहे होते हैं। एक आदमी के यहां गल्ला पड़ा खराब हो रहा है और दूसरी तरफ लोग भूखों मर रहे हैं । किसी के महल में एक मियां और बीबी केवल पड़े हुए हैं और उन का एक करोड़ का मकान है, दूसरी ओर झोंपड़ी में आदमी पड़े हुए है जिन को कोई देखने वाला नहीं है । हमारे यहां जो सम्प्रदायवादी

हैं, पूंजीपति हैं वह बेईमान हैं, उन को जो भी गाली दी जाय कम हैं क्योंकि उन्होंने भेदभाव पैदा किया है । हमारे यहां कहा गया है कि आत्मानाम् सर्वभूतानु । अर्थात् सब प्राणी बराबर हैं। इसी भावना से यह बिल आया है ।

हम ने जब श्रीमती इन्दिरा गांधी से कहा कि कानून बनना चाहिये तो उन्होंने कहा कि इस के लिए हमारे पास बहुमत नही है। मैं तो भावना की बात मानता हूं। अगर हमारे मन में भावना है तो हम समझ सकते हैं कि गाय बहुत उपयोगी जानवर है और उस के वध को कायदे कानून से बन्द कराना चाहिये । इस के लिये विधेयक लाना चाहिये, लेकिन हमारे यहां हर मामले में पार्टीबन्दी आ जाती है । इस तरह की राजनीति से हम को बड़ा खतरा होता है ।

राजनीति में यह होता है जैसे एक अंधा माली दे रहा था किसी को। किसी ने पूछा कि किस को गाली देते हो उस ने कहा कि मेरे घर वाले जिस को देते हैं। जब पूछा गया कि तुम्हारे घर वाले किस को देते हैं तो कहते लगा कि मुझे पता नहीं । यही राजनीति में भी होता है । जो जिस पार्टी में आ गया वह उसी की बात करने लग जाता है । अगर मैं कांग्रेस में हूं तो इंदिरा गांधी या मेरी पार्टी जो चाहती है मैं करता हूं । मानवता के अन्दर दोनों तरह के आदमी रहे हैं । जहां एकओर ब्राह्मण वेदों के विद्वान रहे हैं वहां दूसरी तरफ वे भी रहे हैं जो गोमांस खाते थे । एक तरफ हमारे विश्वामित्र जैसे ऋषिमुनि थे जो बिल्कुल मांस तो क्या कोई दूसरी चीज सिवाय फलों के नहीं खाते थे। दो प्रकार के आदमी चले आए हैं । कभी एक की ताकत बढ़ गई और कभी दूसरे की परन्तु, गाय का जहां तक सवाल है, जैसा मैंने कहा तम्बाकू बन्द करो, शराब पीना बन्द करो, तरह तरह के जो एश और आराम के सामान होते हैं, उन सब को बन्द करो । कोई इनकी वजह से भूखा नहीं मरेगा । यह जो गले में बांधते हैं ,इस की कौन ही जरूरत है । बहुत सी चीजें हैं जो अनुपयोगी होती हैं, उन सब को बन्द कर दिया जाए । गवर्नमेंट भी क्या करे । यहां कहते हैं कि हरिजनों पर अन्याय न हो । लेकिन अन्याय होता है, दारोगा होता है, वह भी अन्याय करता है । जहां तक इसका सम्बन्ध है हमारी कमेटी चाहती है कि यह कयम हो जाए हमारे मंत्री जी बैठे हुए हैं । श्री शेर सिंह पक्के आर्यसमाजी हैं, बड़े गोभक्त हैं लेकिन हमारे जो अधिकारी हैं वे काम को होने नहीं देते हैं । हमारे भाई हरिजन बोले हैं । उन्होंने जो कहा है उसका बुरा नहीं मनाना चाहिये । हरिजनों की हालत को देखा जाना चाहिये । हम जो गांधीवादी हैं, हम क्यों अन्याय के सामने झुकते हैं । क्यों यह कमजोरी हम में आ गई है । अगर अन्याय हरिजनों पर होता है तो उनको हथियार उठा लेना चाहिये । चाहे जहां अन्याय हो उस के खिलाफ डट जाना

[श्री स्वामी ब्रह्मानन्द जी]

चाहिये। मैं हरिजनों को कुछ नहीं कहूंगा। जो कुछ उन्होंने कहा है उसका मैं आदर करता हूं। परन्तु जैसा मैंने कहा है हमारे ऋषि मुनि सम्प्रदायों को नहीं मानते थे, जात को नहीं मानते थे छोटे बड़े के भेद को नहीं मानते थे, आत्मनाम् सर्वभूतेषु। सारा प्राणिमात्र एक है। सब को खाना कपड़ा मकान आदि मिलने चाहियें। यह हमारा सिद्धान्त है। इन शब्दों के साथ मैं कहूंगा कि सब मिल कर, सारे सम्प्रदाय मिलकर, हम यहां जो बैठे हुए हैं सब मिल कर इस मसले को हल करें तो यह जल्दी हल हो जाएगा। हम गवर्नमेंट की मदद करें जो ज्यादा लाभ होगा।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह): इस विधेयक पर पिछले सत्र में और आज भी काफी बहस हुई है। बहुत से माननीय सदस्यों ने इस विधेयक का समर्थन किया है, कुछ ने इसका विरोध भी किया है। दोनों ने अपने अपने तर्क दिए हैं। मैं गोवध के प्रश्न को साम्प्रदायिक प्रश्न नहीं मानता। मैं इसको धार्मिक प्रश्न भी नहीं मानता। केवल किसी एक विशेष सम्प्रदाय से जुड़ा हुआ यह प्रश्न है, यह मैं नहीं मानता। यह प्रश्न आर्थिक भी है और देश के विकास के प्रश्न के साथ साथ भी यह जुड़ा हुआ है। इसलिए जिस समय संविधान बना तो उसके निर्माताओं ने गऊ को संविधान में विशेष स्थान दिया। यह बात बड़े स्पष्ट रूप से संविधान में कही गई है। अगर हमें अपने देश में कृषि और पशुपालन का काम करना है उसका विकास अगर करना है, वैज्ञानिक ढंग से तो हमें जहां और बहुत से काम करने हैं वहां उसके साथ साथ हमें गोवंश की रक्षा भी करनी है, यह बात उसके अन्दर स्पष्ट रूप से कही गई है। सरकार इसका विरोध करती है ऐसी बात नहीं है। जो राज्य की नीति के निदेशक सिद्धान्त हैं, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्ज़ हैं उन में जो बात कही गई है हम चाहते हैं कि उस पर अमल हो और सरकार इसका लगातार यत्न करती है और उसने किया भी है। उसके फलस्वरूप ग्यारह राज्यों में पूर्णरूप से गोवध बन्द है। यदि आप चाहें तो मैं उनके नाम भी पढ़ दूं। पांच यूनियन टैरिटरीज़ में भी गोवध बन्द है। बिहार गुजरात, हरियाणा, जम्मू काश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का विदर्भ का क्षेत्र, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान उत्तर प्रदेश ये राज्य हैं जहां यह बन्द है। पांच यूनियन टैरिटरीज़ जहां यह बन्द है वे हैं अण्डमान एण्ड निकोबार आइलैंडज़, चंडीगढ़, दिल्ली, दादरा एण्ड नगर हवेली और पांडीचेरी। कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर पार्शल प्रोहिबिशन है, पूरा नहीं है। आंध्र का तेलंगाना रिजन है। लेकिन आंध्र प्रदेश में जल्दी एक विधेयक पेश वे करना चाहते हैं। उन्होंने एक विधेयक तैयार किया है। लेकिन इस बात के इंतजार में वे हैं कि जो समिति बनी है गऊ प्रोटैक्शन कमेटी, उसकी रिपोर्ट आ जाए.......

डा० गोविन्द दास: रिपोर्ट कब तक आएगी ?

प्रो० शेर सिंह : और उसके आधार पर वे उस बिल को प्रस्तुत करें।

माननीय सदस्य ने पूछा है कि समिति की रिपोर्ट कब तक आएगी। उनको भली पूर्वक मालूम है कि इस समिति में डेडलाक आ गया था। उसकी वजह से कुछ वर्षों तक इसकी मीटिंगें नहीं हो सकीं क्योंकि माननीय सदस्य उन मीटिंगों में नहीं आए। उन्होंने उसका वहिष्कार किया। इसलिए उसको बदलना पड़ा। समिति बन गई है, उसका गठन हो गया है। अब उसकी मीटिंग होने जा रही है बारह दिसम्बर से 14 दिसम्बर के बीच में कभी भी। कुछ मुख्य मंत्री भी हैं कुछ राज्यों के उस में और उनकी सुविधा को देख कर इन दो तीन दिनों के अन्दर पन्द्रह दिसम्बर से पहले 12 और 14 के बीच में उसकी मीटिंग होने वाली है। कमेटी इस बात पर विचार करेगी। हमें दुख है कि चार साल तक वह कमेटी नहीं बैठ सकी क्योंकि कुछ माननीय सदस्य——

डा० गोविन्द दास : क्या यह सही नहीं है कि सरकार ने गोवध बन्द करने की नीति स्वीकार कर ली है? इसको किस प्रकार से लागू किया जाए केवल यही बात समिति के सोचने की और करने की है।

प्रो० शेर सिंह : कमेटी के टर्म्ज आफ रेफ़ेंस जो हैं वे तो आपको मालूम ही हैं। आप चाहेंगे तो मैं पढ़ कर सुना दूंगा। लेकिन पार्शल प्रोहिबिशन जहां पर है वह मैं निवेदन कर रहा था। आन्ध्र प्रदेश, आसाम, महाराष्ट्र की फार्मर बम्बई स्टेट, तमिलनाडु, वैस्ट बंगाल, इन में पार्शल है और इन से हमने कहा है कि वे भी अपने कानून बनाएं, क्योंकि उनके कानून अधूरे हैं और वे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्ज जो हैं हमारे 48वें अनुच्छेद के अनुसार उसको बनना चाहिए। उनसे हमने कहा है कि वे संशोधन करें। कुछ राज्य ऐसे हैं जिन में अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, पार्शल भी नहीं है। उस में केरल है। लेकिन केरल में कुछ पुराने नियम हैं पंचायतों के और उन पर अमल अभी भी हो रहा है। वैसे कानून उस रूप में नहीं हैं। नागालैण्ड में कोई कानून नहीं है। हिमाचल प्रदेश वाले कहते हैं कि पुराना एक पंजाब का 1872 का कोई नियम चल रहा है और उस पर हम पूरी तरह से अमल कर रहे हैं, इसलिए जरूरत नहीं है। गोवध वहां होता नहीं है, इसलिए आवश्यकता नहीं है। उनका भी ध्यान दिलाया गया है। यूनियन टैरिटरीज़ में लकादीव आइलैंड है उस में नहीं बना है। गोआ दमन एण्ड दीव में भी नहीं है। त्रिपुरा अब पूर्ण राज्य बन गया है। परन्तु वहां भी पुराने राजा के समय का जो आर्डर है वह आर्डर चल रहा है। इसी प्रकार मणिपुर में पुराने ढंग का चल रहा है। मेरा निवेदन है कि सरकार इस बात की कोशिश कर रही है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्ज जो हमारे हैं, उन पर पूरी तरह से अमल होना चाहिए। कुछ राज्यों ने किया है और जिन्होंने अधूरा किया है, उनको कह रहे हैं कि पूरा अमल करें। जिन्होंने अभी तक बिल्कुल नहीं किया उनको भी कह रहे हैं कि वे भी अमल करें।

जो कमेटी बनी है, उसके टर्म्ज आफ रेफ़ेंस के विषय में सरकारी स्टेटमेंट अब मैं आप को पढ़ कर सुना देता हूं :

"Government is aware of the sentiments expressed in different parts of the country in favour of a total ban on the slaughter of cows. The special position of cows has been recognised in our Constitution. Art. 48 clearly and unequivocally lays down that the State shall take steps for prohibiting the slaughter

[Prof. Sher Singh]

of cows and calves and other milch and draught cattle. Although a majority of the States have by legislation banned the slaughter of cows, a few States have not done it so far. The Government of India's policy expressed from time to time has been to get the ban imposed by all the States. Government has already written to those States which have not yet imposed the ban to fall in line with the rest of the States which have done so. It is their intention to initiate vigorous steps within three months to secure an early compliance with Art. 48.

"There are legal and other difficulties in the imposition of a total ban on the slaughter of cows and their progeny, and the Government of India has already decided to appoint a Committee consisting of representatives from the Central and State Governments. The Committee will be competent to suggest ways and means for the effective implementation of the provisions of article 48 and also competent to give full consideration to the suggestion that the Constitution should be amended to bring about a total ban on the slaughter of cows and their progeny.".

यह उस के दायरे में है। वह इसके बारे में सिफारिश कर सकती है। सरकार उसकी सिफारिशों पर विचार करेगी।

डा० गोविन्द दास : उसकी पहली मीटिंग 15 दिसम्बर तक होगी। उसकी रिपोर्ट कब तक आ जायेगी ?

प्रो० शेर सिंह : कमेटी की तरफ से कुछ क्वेस्चनेयर गये और उन के उत्तर आये। कुछ लोगों का एविडेंस हुआ। विचार हुआ। बारह मीटिंग्स हुई। फिर कमेटी ने काम करना बन्द कर दिया। अब हम उस को रिवाइव कर र हैं। हम ने 31 मार्च, 1973 की तारीख रखी है, जब तक कमेटी की रिपोर्ट आनी चाहिए। हम आशा करते हैं कि तब तक वह रिपोर्ट दे देगी।

इस सम्बन्ध में भारत सरकार को एक कठिनाई है। आप जानते हैं कि जिस बिल पर हम विचार कर रहे हैं, वह हमारे अधिकार की सीमा से बाहर है। कांस्टीटयूशन के सातवें शिड्यूल की एन्ट्री 15 के मुताबिक प्रिजर्वेशन, प्रोटेक्शन एण्ड इम्परूवमेंट आफ स्टाक एक स्टेट सबजेक्ट है। यह कानक्रेन्ट सबजेक्ट भी नहीं है। अगर रह यह कानक्रेन्ट सबजेक्ट होता, तो हम लेजिस्लेट कर सकते थे। लेकिन इस समय इस सदन को यह अधिकार नहीं है।

श्री जगन्नाथ राव जोशी जिस विधेयक को हम पारित नहीं कर सकते, तो वह यहां आया कैसे ? उस के एडमिट कैसे किया गया ?

MR. DEPUTY-SPEAKER: If a mistake was committed, it can be rectified now.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: There was no mistake.

SHRI JAGANNATHRAO JOSHI: When we are competent to discuss it, we are competent to take a decision on it. Otherwise, what is the use of discussing it? Discussing in a vacuum?

MR. DEPUTY-SPEAKER: May be this point was not raised at that time, whether this House has legislative competence. (*Interruption*).

SHRI R. R. SHARMA (Banda): It was introduced in 1962. (*Interruption*).

प्रो० शेर सिंह : मैं निवेदन कर रहा था कि हम इस कानून को पास नहीं कर सकते । लोग विभिन्न कानूनों को सुप्रीम कोट में जा कर चैलेंज कर रहे हैं । आज-कल भी संविधान के एक संशोधन के बारे में सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है ।

श्री वाजपेयी जैसे नालेजेबल और विद्वान व्यक्ति अच्छी तरह जानते हैं कि यह इस सदन का अधिकार नहीं है कि वह इस बारे में विधेयक पास करे, क्योंकि यह एक स्टेट सबजैक्ट है । इसी लिए हम स्टेट्स को निवेदन कर रहे हैं कि वे विधेयक पास करें । कुछ स्टेट्स ने पास किये भी हैं । जिन स्टेट्स ने नहीं किये हैं, हम उन्हें ऐसे कानून पास करने के लिए कह रहे हैं । उस से हमारा मकसद हल हो जायेगा ।

मैं समझता हूं कि हम ने इस विधेयक पर विचार कर लिया, इस में कोई हर्ज नहीं है । हम सब ने अपनी बातें कह ली हैं, लेकिन हम इस को पास नहीं कर सकते हैं । इस लिए मूवर महोदय से मेरा निवेदन है कि वह कृपा कर के इस विधेयक को वापिस ले लें । कमेटी इस विषय पर विचार कर रही है । वह इस कमेटी की रिपोर्ट आने दें । अगर रिपोर्ट आने पर यह फैसला हो जाता है कि संविधान में संशोधन करना है और अगर वह संशोधन हो जाये, तो हम इस विधेयक को पास कर सकेंगे । अगर आज हम इस को पास कर भी दें तो वह कोर्ट में एक मिनट भी टिक नहीं सकेगा । इससे कोई लाभ नहीं होगा । अगर हम विधेयक पास कर दें, वह टिक सके और उस पर अमल हो सके, तो लाभ होगा ।

इस सदन में भी कुछ सदस्यों की भावना है कि ऐसा विधेयक पास नहीं करना चहिए । मैं उनका समर्थन नहीं करता हूं । मैं नहीं कहता हूं कि उन्होंने जो कहा है, वह ठीक है । इस देश में ऐसे लोग हैं, जो कहते हैं कि इस विधयक को नहीं पास करना चाहिए, जो इस की स्पिरिट के खिलाफ हैं । अगर वे इस विधेयक को कोर्ट में ले जाते हैं, तो वह एक मिनट भी नहीं टिक सकेगा ।

इसलिए मेरा निवेदन है कि इस से हमारे कर्त्तव्य का पालन नहीं हो पाता है । कर्त्तव्य का पालन—गौ की रक्षा केवल बातों से नहीं होती है । आज राजस्थान, महाराष्ट्र, आन्ध्र और गुजरात में हमारे पशु खतरे में पड़े हैं । केवल प्रस्ताव या विधेयक पास करने से उन की जान नहीं बच सकती है । यह इतना सरल काम नहीं है । इस के लिए हम सबको मिल कर प्रयत्न करना होगा । मैं इस अवसर का लाभ उठा कर माननीय

[प्रो० शेर सिंह]

सदस्यों से अपील करूंगा कि चूंकि हमारा पशुधन बड़े संकट में है, इस लिए जो भी गोभक्त हैं और गौ की सेवा करना चाहते हैं, वे सब सरकार का हाथ बंटायेंगे। सरकार इस कोशिश में है कि जहां पशुओं के लिए चारा नहीं है, वहां उन को ऐसे कैम्पों में ले जाया जाये, जहा उन को चारा सस्ते दामों पर मिल सक। हम चारा पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि गुजरात सरकार ने अपने यहां से महाराष्ट्र का घास ले जाना बन्द कर दिया है? क्या यह चारा ले जाने का तरीका है?

प्रो० शेर सिंह : जहां कमी होती है, वहां उन के लिए कठिनाई हो जाती है।

हम गौरक्षा केवल बातों से नहीं कर सकते। हम केवल कानून बनाने से भी गौरक्षा नहीं कर सकते। कानून बनाने के बाद भी गौ को पालने का काम करना होगा। लोग अपने घरों में गौ को पालें। बहुत से लोग गौरक्षा की बात करते हैं, लेकिन उन्होंनें कभी गौ को अपने घर में नहीं रखा है। उन को गौ से बदबू आती है। हम केवल प्रस्ताव पास कर के गौ की रक्षा नहीं कर सकेंगे।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Like all professors, the professor likes to drive his points home by repeating them again and again.

प्रो० शेर सिंह : इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तावक महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस विधेयक को वापिस ले लें, क्योंकि हम इस के विरोध में नहीं हैं। हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्ज से बंधे हुए हैं। जहां कानून नहीं बने हुए हैं, हम उन राज्य सरकारों से कानून बनाने के लिए कह रहे हैं। इस लिए इस कानून की आवश्यकता नहीं है।

श्री भारत सिंह चौहान (धार) : उपाध्यक्ष महोदय, जो सदस्य इस बिल के विरोध में बोले हैं, उन्होंने कुछ बातें जोश में कह डाली हैं और वह आक्षेप भी लगाया है कि यह विधेयक राजनैतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए लाया गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि इस सदन में जो प्राइवेट बिल आते हैं, क्या वे नियम के विरुद्ध आते हैं। नियम के अनुसार बैलट में यह बिल आया है। इस बि न के विपक्ष में बोलने वालों ने जिस तरह की बातें कही हैं, मैं भी वैसी हजारों बातें सुना सकता हूं। लेकिन मैं जोश में कोई बात नहीं कहना चाहता हूं और न ही पोलीं-टिकल बातों में पड़ना चाहता हूं।

हम सब जानते हैं कि पिछले पच्चीस सालों में जहां कई और समस्यायें हल नहीं हुई हैं, वहां यह राष्ट्रीय समस्या भी हल नहीं हुई है कि गौमाता का वध पूर्ण रूप से बन्द हो। इस समस्या का केवल आर्थिक पहलू ही नहीं है, बल्कि इस का सम्बन्ध हमारे समाज से और हमारी धार्मिक भावनाओं और परम्पराओं से भी है। लोग कहते हैं कि पुरानी संस्कृति और पुरानी परम्पराओं की बात कही जाती है। आखिर अच्छा समाज कैसे बनेगा?

क्या संस्कृतिहीन समाज बनाना चाहते हैं, कैसा समाज आप बनाना चाहते हैं ? जैसे बहके हुए लोग बातें करते हैं इस तरह की बातें गोवध निषेध के बारे में वह बोल गए जिसका इससे बिल्कुल सम्बन्ध नहीं है। एक तरफ कहते हैं कि वैज्ञानिक युग है। मैं गारंटी करता हूं कि वैज्ञानिक लोग भी इसको भलीभांति समझ चुके हैं कि गोवध इस कृषि प्रधान देश में बन्द होना चाहिए। आथोरिटी के साथ मैं इसका यहां पर वर्णन कर सकता हूं। एक समय ऐसा भी था कि गंगा जल के सम्बन्ध में पाश्चात्य लोग बहुत मजाक किया करते थे। लेकिन आज वैज्ञानिक तरीके से सिद्ध हो चुका है कि गंगा जल कितना पवित्र है उतना किसी और नदी का जल पवित्र नहीं है। इसी तरह गोमाता का दूध है। क्या आप नहीं जानते हैं कि जब मां का दूध नहीं होता है तो डाक्टर लोग कहते हैं कि गाय का दूध पिलाओ ? यह नहीं कहते हैं कि भैंस का दूध पिलाओ या बकरी का दूध पिलाओ। आप की मेडिकल एथारिटी भी इस बात को मानती है और कहती है कि गाय का दूध कितना पवित्र है। अब उस को किस तरह से संरक्षण देना है ? अभी मंत्री महोदय ने भावना बतलाई लेकिन हम इस बात को समझते हैं कि 25 साल भारत की आजादी के कम नहीं होते जो इतने दिनों में इस राष्ट्रीय समस्या को हम अभी तक हल नहीं कर पाये। दृढ़ संकल्प हम करते तो हम इस समस्या को हल कर सकते थे और जो देश में कई तरह की बातें आ रही हैं, मुसीबत आ रही हैं उनका हम मुकाबला कर सकते थे तथा संसार में एक गौरव हम प्राप्त कर सकते थे। इस देश को धन और सम्पत्ति से पूर्ण तथा समृद्धिशाली बनाने के लिए भी गोहत्या बन्द होना बहुत जरूरी है। मैं केवल धार्मिक और सांस्कृतिक बातें नहीं करता, आर्थिक दृष्टि से देश को समृद्धिशाली बनाने के लिए भी हम इस बात को कहते हैं। छोटे छोटे व्यापार और उद्योगधन्धे देश के अन्दर होने चाहिए, उन को एन्करेजमेंट मिलना चाहिए तो इसका इस्तेमाल छोटे छोटे उद्योगों में भी बहुत ज्यादा है। ट्रैक्टर से इस देश को समृद्धिशाली आप नहीं बना सकते, इस बात को आप महसूस भी करने लगे हैं। यह नहीं कि आप यह अनुभव नहीं करते हैं। हम रात दिन यह देख रहे हैं। तो इस के लिए हमारा दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि गोमाता का बध बन्द होना चाहिए और ऐसा कर के हम केवल धार्मिक भावनाओं को ही संरक्षण नहीं देंगे बल्कि आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से भी एक बड़ा अच्छा कार्य करेंगे। हमारे कांग्रसी भाइयों ने कुछ इस तरह की बातें कहीं कि यह तो आप ने इस का राजनैतिक फायदा उठाया। लेकिन क्या आप ने उस का गाय-बछड़ा अपने चुनाव चिह्न के लिए नहीं लिया। 50 परसेंट आपने उस भावना का फायदा उठाया है। राजनीति से प्रेरित हो कर आप ने इस का फायदा उठाया है, यह तथ्य झुठलाया नहीं जा सकता है। हम ने कितना विरोध किया था कि यह धार्मिक

[श्री भारत सिंह चौहान]

देश है इस तरह का चिह्न न दिया जाय, आप जानते हैं कि भारत की जनता कितना गोमाता का आदर और सत्कार करती है लेकिन राजनैतिक लाभ उठाने के लिए आप ने उसका चिह्न लिया । तो दृढ़ संकल्प हो कर हमें इस काम को करना चाहिए और यह गोवध बन्द होना चाहिए। इसी प्रेरणा से मैंने यह विधेयक रखा है । किसी राजनैतिक प्रेरणा से यह विधेयक मैं नहीं लाया हूं । मैं दावा करता हूं कि कोई राजनैतिक प्रेरणा इसके पीछे नहीं है । राष्ट्रीय समस्या होने के कारण मैंने इस को रखा है । इसके लिए हमें अगर बदनाम किया जाय तो यह बिलकुल गलत बात है । इस में कोई तथ्य नहीं है । इसके बारे में मैं सैकड़ों तथ्य दे सकता हूं कि एक राष्ट्रीय समस्या होने के कारण यह गोवध बन्द होना चाहिए । इन शब्दों के साथ मैं अपने भाइयों से निवेदन करता हूं कि यह मेरा बिल पास किया जाय ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Before I put the motion for consideration to vote, I would say, we are rather in a predicament. The Minister has brought up the point that this is outside the legislative competence of this House. He said, even if it is passed, it will be struck down by the court.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: That is no consideration.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I am only mentioning what he said. He should have raised this point at the time when the member introduced this Bill. It should have been disposed of at that time. If it is outside the legislative competence of this House, it should not have come at all in this House, and objection should have been taken at that time. That is why I am saying we are in a predicament. We have accepted it for discussion which tacitly means that we have accepted that it is within the legislative competence, and that is why we are discussing it. If we had committed any initial mistake, there is nothing to prevent this House from correcting it now. Therefore, while I put this motion, I would request the House to keep in mind the contention of the Minister, the submission of the Minister. The question is:

"That the Bill to prevent cow slaughter in India be taken into consideration."

The Lok Sabha divided:

Division No. 3] **[16.59 hrs.**

AYES

Bade, Shri R. V.
Banera, Shri Hamendra Singh
Chowhan, Shri Bharat Singh
Govind Das, Dr.
Joshi, Shri Jagannathrao
Malik, Shri Mukhtiar Singh
Narendra Singh, Shri
Pradhan, Shri Dhan Shah
Ramkanwar, Shri
Sharma, Shri R. R.
Vajpayee, Shri Atal Bihari

NOES

Ansari, Shri Ziaur Rahman
Bhagat, Shri B. R.
Bheeshmadev, Shri M.
Chandra Gowda, Shri D. B.
Chandrakar, Shri Chandulal
Chandrappan, Shri C. K.
Chandrashekharappa Veerabasappa, Shri T. V.
Chaudhary, Shri Nitiraj Singh
Chhotey Lal, Shri

Das, Shri Anadi Charan
Daschowdhury, Shri B. K.
Deb, Shri Dassaratha
Dhamankar, Shri
Dixit, Shri Jagdish Chandra
Dumada, Shri L. K.
Dwivedi, Shri Nageshwar
Ganga Devi, Shrimati
Gomango, Shri Giridhar
Gotkhinde, Shri Annasaheb
Gowda, Shri Pampan
Hansda, Shri Subodh
Hanumanthaiya, Shri K.
Hashim, Shri M. M.
Kedar, Shri S. A.
Kakoti, Shri Robin
Kaul, Shrimati Sheila
Kedar Nath Singh, Shri
Kulkarni, Shri Raja
Mahajan, Shri Y. S.
Mahata, Shri Debendra Nath
Mallanna, Shri K.
Mallikarjun, Shri
Mohsin, Shri F. H.
Mukherjee, Shri Samar
Negi, Shri Pratap Singh
Pahadia, Shri Jagannath
Pandey, Shri Krishna Chandra
Paokai Haokip, Shri
Patil, Shri Krishnarao
Raj Bahadur, Shri
Ram Swarup, Shri
Ramji Ram, Shri
Rana, Shri M. B.
Rao, Shri Jagannath
Rao, Shri P. Ankineedu Prasada
Reddy, Shri K. Ramakrishna
Reddy, Shri M. Ram Gopal
Richhariya, Dr. Govind Das
Roy, Shri Bishwanath
Satish Chandra, Shri
Sayeed, Shri P. M.
Shambhu Nath, Shri
Shankaranand, Shri B.
Sharma, Shri A. P.
Shenoy, Shri P. R.
Sher Singh, Prof.
Siddayya, Shri S. M.
Suryanarayana, Shri K.
Swaminathan, Shri R. V.
Venkatasubbaiah, Shri P.
Venkatswamy, Shri G.
Verma, Shri Ramsingh Bhai

MR. DEPUTY-SPEAKER: The result* of the division is:

Ayes: 11 *Noes*: 62.

The motion was negatived.

17.00 hrs.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(Amendment of article 240 and First Schedule).

MR. DEPUTY SPEAKER: We now take up the next item. Shri B. K. Daschowdhury to move that the Bill further to amend the Constitution of India be taken into consideration.

SHRI B. K. DASCHOWDHURY (Cooch-Behar): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I beg to move:

> "That the Bill further to amend the Constitution of India be taken into consideration."

This Bill seeks to amend the Constitution of India. In article 240 of the Constitution, in sub-clause (a) of clause (1), for the words "the Andaman and Nicobar Islands", the words "Shaheed and Swaraj Dwips" shall be substituted.

---

*The following Members also recorded corded their votes for NOES:—
Sarvashri Sadhu Ram and C. K. Jaffer Sharief.